[2019] 14 एस. सी. आर 859

प्रभाकर प्रभु नावेलकर (मृत) चले गए

एलआरएस और ओआरएस के माध्यम से।

वी.

रामचंद्र सूर्या प्रभु नावेलकर (मृत)

एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 10501-10502 2014)

21 अगस्त, 2019

[नवीन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

हिंदू कानूनः संपत्ति अधिकार-गोवा के बैंगुइनिम गांव में स्थित दो संपत्तियों 'एम' और 'बी' से संबंधित विवाद सुरियाजी और गोन्स भाई थे-विवादित संपत्तियां

मूल रूप से अपने दादा-वादी के थे-अपीलकर्ता गोन्स के हित में उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी हैं-1913 के उपहार विलेख के अनुसार, सुरियाजी और गोन्स के दादा ने संपत्ति में एक-आधा अधिकार 'एम' सुरियाजी और गोन्स दोनों को उपहार में दिया था-दूसरा आधा

सूरियाजी और गोन्स एक तरफ वेंक्टेक्सा शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों के रूप में दिखाई दिए और विटोल की दूसरी शाखा को उनकी पत्नी और उनके चार बेटों ने नाराज कर दिया-21.01.1919 दिनांकित विलेख में, सूरियाजी ने स्वीकार किया कि 'M' की संपत्ति में एक चौथाई और संपत्ति 'B' का आधा हिस्सा दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा खरीदा गया था। 17.11.1915 यह अपने लिए और अपने भाई गोन्स के लिए था, जिन्होंने आधी कीमत चुकाई-सुरियाजी और उनकी पत्नी शांतिबाई ने गोन्स के नाम पर पंजीकरण का हस्तांतरण करने का बीड़ा उठाया, उनके नाम पर खरीदी गई संपत्ति का आधा हिस्सा-गोन्स हस्तांतरण के अवसर पर सुरियाजी द्वारा भुगतान की गई आधी राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए था-1925 में, सुरियाजी और उनकी पत्नी शांतिबाई ने गोन्स को उपहार में दी गई संपत्ति 'एम' का एक-चौथाई हिस्सा जो सुरियाजी ने अपने दादा से प्राप्त किया था।

दिनांक 09.03.1913 का उपहार विलेख-इस प्रकार, दिनांक 17.11.1915 की बिक्री विलेख के तहत की गई खरीद के परिणामस्वरूप गोन्स संपत्ति 'M' का आठवां हिस्सा और संपत्ति 'B' का एक चौथाई हिस्सा पाने के हकदार बन गए-1937 में, संपत्ति 'M' में गोन्स का आधा हिस्सा सार्वजनिक रूप से बेचा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोन्स के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही में नीलामी के बावजूद

हिंदू अविभाजित परिवार के विघटन के बाद, गोन्स और उनके भाई सुरियाजी और दूसरी शाखा के परिवार हमेशा एक साथ रहते थे-1949 में, गोन्स अपने परिवार के कारण दमन चले गए। रोजगार-उन्हें सूट संपत्ति से दिसंबर 1978 में उनकी मृत्यु तक अपना हिस्सा मिला-उनकी मृत्यु के बाद,

अपीलार्थियों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया और जब उन्होंने पाया कि सर्वेक्षण रिकॉर्ड में उनके नाम शामिल नहीं हैं, तो उन्होंने सर्वेक्षण अधिकारियों को आवेदन दिया और पहली बार दिनांकित विभाजन विलेख 13.03.1969 के बारे में पता चला और पाया कि उन्हें बाहर रखा गया था-अपीलार्थियों ने घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि वे थे संपत्ति 'एम' में एक-आठवें हिस्से और संपत्ति 'बी' में एक-चौथाई हिस्से का हकदार है; कि विभाजन विलेख दिनांक 13.03.1969

संबंधित प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित किया गया अमान्य था और उन पर बाध्यकारी नहीं था-निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया-हालाँकि, पहली अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया-उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि जो भी अधिकार या ब्याज गोन्स के पास बचा हुआ था, वह खो गया था, क्योंकि गोन्स ने किसी भी समय संपत्ति के आवंटन को चुनौती नहीं दी थी।

शांतिबाई जो इन्वेंटरी कार्यवाही में आवंटन करती हैं और

उसके पक्ष में अधिकारों की रिकॉर्डिंग/पंजीकरण ने चुनौती के अभाव में अंतिमता प्राप्त कर ली है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः बिक्री विलेख के आधार पर

1915 और 1919 के निपटान विलेख में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि गोन्स ने अभियोग अनुसूची संपत्ति में इस तरह का अधिकार हासिल कर लिया था-न केवल गोन्स ने सूची के दौरान या उसके तुरंत बाद आपत्ति नहीं जताई थी।

कार्यवाही लेकिन हालांकि वे वर्ष 1978 तक जीवित रहे, उन्होंने कभी भी वादी अनुसूची संपत्ति के संबंध में कोई दावा नहीं किया-समान रूप से जैसा कि उच्च न्यायालय और पहले अपीलीय न्यायालय ने पाया, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि गोन्स से आय की प्राप्ति थी।

संपत्ति जो अपीलार्थियों का विशिष्ट मामला था-संपत्ति शांतिबाई के नाम पर दिखाई गई थी-फिर भी 1969 में, शांतिबाई ने वादी अनुसूचित संपत्ति का एक उपहार विलेख निष्पादित किया।

इसके तुरंत बाद शांतिबाई और बच्चों के बीच विभाजन विलेख निष्पादित किए गए-इस प्रकार, शांतिबाई ने संपत्ति को अपनी माना-फिर भी बाद में वादी अनुसूची संपत्ति के हिस्से के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आयोजित की गई।

क्षतिपूर्ति का भुगतान इस आधार पर किया गया था कि गोन्स ने प्रभाकर को प्रभु नावेलकर (डी) नहीं दिया था।

सारदचंद्र सूर्या प्रभु नावेलकर (डी)

उन्हें कोई अधिकार है-इस प्रकार गोन्स के आचरण द्वारा प्रतिनिधित्व था, कि उन्होंने शांतिबाई के अधिकार को स्वीकार किया-इसके अलावा कोई बचाव या परित्याग का अनुरोध नहीं किया गया था-इस प्रकार,

उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

सूरियाजी को भेजा गया, दूसरा हिस्सा विटोल शाखा को भेजा गया। 21.1.2019 दिनांकित दस्तावेज़ को घोषणा पत्र, खातों की शेष राशि का निर्धारण, भुगतान और दायित्व। ऐसा प्रतीत होता है कि विलेख में संयुक्त परिवार के वितरण और परिवार के खातों के निपटान का प्रावधान है जो केवल 3 साल तक चला। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि प्रथम भाग के पक्षकारों सुरियाजी ने कहा कि उनके द्वारा दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा की गई खरीद उनके और उनके भाई गोन्स के लिए की गई थी और उन्होंने उक्त खरीद की आधी कीमत का भुगतान कर दिया है, इसलिए वह शांतिबाई के साथ-साथ

गोन्स के नाम पर उपरोक्त विलेख द्वारा उसके नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का आधा हिस्सा किसी भी समय वह चाहे तो हस्तांतरित कर सकता है,

यह कहने के तुरंत बाद कि उन्होंने उक्त खरीद के लिए आधी कीमत का भुगतान कर दिया है, इसलिए उन्होंने उक्त शांतिबाई के साथ आधी संपत्ति गोन्स को हस्तांतरित करने का बीड़ा उठाया है। उसके नाम पर खरीदा गया आदि। Rs.1000/- का योग एक था

1919 में काफी राशि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्थानांतरण की मांग करने से पहले किया जा सकता था। खंड का अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है कि या तो इसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है या भुगतान को स्थगित किया जा सकता है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि गोन्स ने सुरियाजी को उनके जीवनकाल के दौरान Rs.1000/- की पेशकश की और उत्परिवर्तन या अधिकार के हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। पीडब्लू 1 इस हद तक बयान देता है कि 'सुरियाजी को प्रतिपूर्ति करने का दायित्व गोन्स के उत्तराधिकारियों को नहीं सौंपा गया था'। इस प्रकार मुकदमा न तो गोन्स [2019] 14 एस. सी. आर. के पास दायर किया गया है।

न ही अपीलार्थी 1919 के विलेख में उल्लिखित राशि का भुगतान करते हैं या भुगतान करने की पेशकश करते हैं। [पैरा 50,58,61,62,63] [898-एच; 899-ए; 904-एच; 905-ए-डी; 907-जी-एच; 908-ए, एफ-एच; 909-ए-बी]

सिंडिकेट बैंक बनाम। प्रभा डी. नाइक (2001) 4 एससीसी 713:

[2001] 2 एससीआर 714-प्रतिष्ठित।

हरदेवेंद्र सिंह बनाम। परमजीत सिंह और अन्य

(2013) 9 एससीसी 261 [2013] 1 एससीआर 903; जस्टिनियानो

ऑगस्टो डी पाइडेड बैरेटो बनाम। एंटोनियो विसेंटा दा

494 - संदर्भित किया गया।

2. एक और दृष्टिकोण है। शिकायत में, पैरा '9' में,

जो कहा गया है वह यह है कि वर्ष 1915 में, पीरू और उनके पति ने सूरियाजी और लक्ष्मी को समान भागों में बिक्री विलेख द्वारा संपत्ति बेच दी थी। इसके बाद, पैरा '11' में, सूरियाजी ने दिनांकित 21.01.1919 विलेख में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दिनांक 17.11.1915 के बिक्री विलेख के तहत की गई "M" के एक चौथाई और "B" के एक चौथाई की खरीद, उनके और उनके छोटे भाई के लिए थी और जिन्होंने खरीद के समय इसकी कीमत का भुगतान किया था और इसलिए, सूरियाजी के होने पर पंजीकरण को हस्तांतरित करने का कार्य किया गया था।

1/2 के भुगतान में गोन्स द्वारा प्रतिपूर्ति। यह स्वीकार किया जाता है कि बिक्री विलेख सुरियाजी के पक्ष में है। इसके लगभग 4 साल बाद 1919 के दस्तावेज़ में सुरियाजी द्वारा स्वीकार किया गया कि लगभग आधा मूल्य, भुगतान किया जा रहा है और उपक्रम के बारे में स्थापित किया गया है। शिकायत में अपीलकर्ताओं के लिए कोई मामला नहीं है कि सुरियाजी बेनामीदार या नाम देने वाले थे। परिणामी न्यास का सिद्धांत न्यास अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत आता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ट्रस्ट अधिनियम 1915 में और 1919 में गोवा पर लागू नहीं था क्योंकि गोवा ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। निर्धारित करने में कुछ परीक्षण प्रस्तावित किए जाते हैं।

लेन-देन। लेकिन बेनामी लगाने का कोई मामला नहीं है। अतः ए. जिस खरीद को बेनामी बनाया जाता है, वह परिणामी विश्वास की ओर ले जाता है। कम से कम अपीलार्थियों के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि यह लागू हुआ।

उनके पास प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) वी नहीं है। सारदचंद्र सूर्या प्रभु नावेलकर (डी)

यह दिखाने के लिए कुछ भी उत्पादित किया कि यह लागू होता है। यदि न्यास अधिनियम, जो निस्संदेह, 1915 में या 1919 में और उसकी धारा 82 में भी गोवा पर लागू नहीं हुआ था, बेनामी के सिद्धांत को समाहित करता है या परिणामस्वरूप विश्वास, अपीलार्थी कैसे दावा कर सकता है कि 1919 के दस्तावेज़ के साथ पढ़े गए 1915 के दस्तावेज़ के तहत गोन्स मालिक के रूप में हकदार बन गए। यदि यह प्रकृति में एक अनुबंध निष्पादक तक सीमित कर दिया गया था, तो एक दायित्व का पालन करने के लिए जिस पर केवल स्वामित्व निहित होगा, यह रुपये के भुगतान की पूर्व शर्त के अधीन था। 1000 / - गोन्स द्वारा। यहां तक कि Rs.1000/- का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के दायित्व के अनुसार, उन्हें पारित नहीं किया गया। अपीलार्थी का यह आचरण, के दस्तावेज़ के तहत अधिकार प्राप्त करने की मांग में

1919 , भले ही, उनके पूर्ववर्ती अपने कार्यकाल के दौरान अपने दायित्व का पालन करने में जानबूझकर या अन्यथा विफल रहे हों।

पूरा जीवनकाल स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। न्यास अधिनियम की धारा 82 ने मान्यता दी कि जब किसी व्यक्ति ने दूसरे को संपत्ति का हस्तांतरण किया, जिसका भुगतान किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति लाभकारी मालिक होगा। हस्तांतरणकर्ता या बेनामीदार के नाम पर संपत्ति उस व्यक्ति के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी जो

वास्तव में विचार प्रदान किया है। अपीलार्थी द्वारा कभी भी बेनामी के आधार पर कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए, 1915 के बिक्री विलेख और 1919 के निपटान विलेख द्वारा यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं हो सकता है कि गोन्स ने वादी अनुसूची संपत्ति में इस तरह का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसके आलोक में, प्रतिकूल कब्जा या निष्कासन के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता है। [पारस 64,65,67,68] [909-सी-जी; 911-सी-एच; 912-ए-ई]

संपदा शुल्क नियंत्रक, लखनऊ बनाम। आलोक मित्रा

ए. आई. आर 1981 एस. सी 102: [1981] 1 एस. सी. आर. 943-संदर्भित।

3. दिनांक 21.1.1919 के विघटन विलेख के बाद, उपहार विलेख के निष्पादन के रूप में एक और विकास हुआ

वर्ष 1925 में सुरियाजी। 1925 के उपहार विलेख के तहत, सुरियाजी ने गोन्स को संपत्ति 'एम' में अपना 1⁄4 अधिकार उपहार में दिया है, जिसे उन्होंने वर्ष 1913 में अपने दादा द्वारा निष्पादित उपहार विलेख के तहत प्राप्त किया था। इस उपहार के बाद वर्ष 1925 में सुरियाजी का निधन हो गया। इसके बाद पुर्तगाली सिविल कोड के तहत सुरियाजी की संपत्तियों के संबंध में इन्वेंट्री कार्यवाही हुई। पुर्तगाली सिविल कोड के तहत गोन्स स्पष्ट रूप से सूरियाजी के नाबालिग बच्चों की ओर से वोगल के रूप में खड़े थे। दस्तावेजी साक्ष्य [2019] 14 एस. सी. आर. द्वारा पाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्थापित करने वाला पहला अपीलीय न्यायालय कि संपत्ति 'एम' का% और संपत्ति 'बी' का 1⁄2 हिस्सा सुरियाजी की विधवा शांतिबाई के नाम पर आवंटित किया गया था। [पैरा 69] [912-एफ-जी; 913-ए-सी] 4. जब निहित अधिकार स्थापित किया जाता है जैसे कि स्वामित्व, तो इसे केवल बिक्री या उपहार द्वारा विभाजित किया जा सकता है। यह मानना संभव नहीं होगा कि केवल लाठियाँ या खुद से खड़े रहना ही पर्याप्त हो सकता है।

शीर्षक को बुझा दें। केवल यह कहना कि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया है, संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार जैसे निहित अधिकार को समाप्त नहीं करता है। निश्चित रूप से, एक त्याग जो

किसी अदालत में। इस मामले के तथ्यों में एक अतिरिक्त विशेषता है। 21.1.1919 दिनांकित दस्तावेज़ के तहत गोन्स को एक Rs.1000/- की प्रतिपूर्ति क्योंकि यह उनके भाई सुरियाजी द्वारा दूसरी शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी को उनकी पत्नी के दहेज की आय में से भुगतान की गई राशि का आधा है। गोन्स की ओर से कुछ किया जाना बाकी था और उसके बाद यह सुरियाजी को स्थानांतरित करने के लिए था। उस अर्थ में इसे निष्पादन अनुबंध के रूप में वर्णित किया जा सकता है। [पारस 79-80] [921-D-G]

दिलबू (श्रीमती) (मृत) एलआर द्वारा। और अन्य वी। धनराजी (श्रीमती) (मृत) और अन्य (2000) 7 एससीसी 702: [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 214; दामोदर रामनाथ अल्वे बनाम। गोकुलदास

रामनाथ अल्वे और अन्य MANU/MH/0535/1996;

ज़कारियास ड्यूरेट डोमिंगोस परेरा बनाम। कैमिलो इनासियो

परेरा 1990 (1) गोवा एल. टी. 174; शा मूलचंद और

Co.Ltd। वी. जवाहर मिल्स लिमिटेड, सलेम ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 98: [1953] एस. सी. आर. 351; डॉ. करण सिंह बनाम। जम्मू-कश्मीर राज्य और दूसरा (2004) 5 एस. सी. सी. 698: [2004] 1 पूरक। एससीआर

43 संदर्भित किया गया।

5. इन्वेंट्री कार्यवाहियों के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि इन्वेंट्री कार्यवाहियां स्वयं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। यह.

यह सच हो सकता है कि इन्वेंट्री कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों पर था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन्होंने अंतिम शिलालेख प्रस्तुत किया है जो इन्वेंट्री कार्यवाही की परिणति को प्रकट करता है और यह दर्शाता है कि वादी अनुसूची संपत्ति शांतिबाई को आवंटित की गई थी।

बिक्री विलेख प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. सारदचंद्र सूर्या प्रभु नावेलकर (डी)

सूरियाजी संपत्ति 'एम' के 1/4 हिस्से और संपत्ति 'बी' के 1/2 हिस्से के हस्तांतरणकर्ता थे। जब सुरियाजी की मृत्यु हुई, तो इन्वेंट्री की कार्यवाही केवल उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में की जानी थी। जब तक इन्वेंट्री की कार्यवाही शुरू हुई और समाप्त हुई, तब तक गन्स प्रमुख थे। वह 1915 के बिक्री विलेख के तहत अपने अधिकारों से अवगत थे जैसा कि 1919 के विघटन विलेख में घोषित किया गया था। इन्वेंट्री की कार्यवाही शांतिबाई को 'एम' में 1⁄4 अधिकार और 'बी' में 1⁄2 अधिकार आवंटित किए जाने के साथ समाप्त हुई। समझौता विलेख के बावजूद उक्त संपत्ति कैसे आवंटित की गई

1919 का जो अपीलार्थियों के अनुसार गोन्स के पक्ष में और संपत्तियों 'बी' के प्रति अधिकार निर्धारित करता है अपीलार्थी एक ऐसा मामला है जिसे यह न्यायालय शुरू करने में असमर्थ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शांतिबाई को बिक्री विलेख के अनुरूप संपत्ति आवंटित की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है

अपीलकर्ताओं को यह दिखाने के लिए कि गोन्स ने कार्यवाही के दौरान या अंत में किसी भी तरह से विरोध किया। यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शांतिबाई को आवंटन को कभी भी किसी भी तरह से चुनौती दी गई थी

गोन्स। दूसरे शब्दों में, गोन्स को उनके आचरण से यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने स्वीकार किया है कि जो संपत्ति इन्वेंट्री कार्यवाही में आवंटित की गई थी, वह शांतिबाई की होगी। 1937 से जब उक्त आवंटन सभी उद्देश्यों के लिए किया गया था,

यह संपत्ति गोन्स द्वारा शांतिबाई को आवंटित संपत्ति के रूप में स्वीकार की गई थी। यह धोखाधड़ी नहीं होगी। अपीलार्थियों द्वारा स्थापित धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है। उत्तरदाताओं के लिए एक निश्चित मामला है कि पुर्तगाली कानून में विश्वास की कोई अवधारणा नहीं है और कानूनी और न्यायसंगत संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। विश्वास की अवधारणा अप्रयोज्य हो सकती है। [पारस 81,82,84,85] [922-ए-डी; 923-ए-ई]

6. न केवल गोन्स ने इस दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई।

या इन्वेंट्री कार्यवाही के तुरंत बाद, लेकिन हालांकि वह वर्ष 1978 तक जीवित रहे, जो 1937 के लगभग 41 साल बाद है, गोन्स ने जीवित रहते हुए कभी भी वादी अनुसूची संपत्ति के संबंध में कोई दावा नहीं किया था। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गोन्स संपत्ति से आय की प्राप्ति में था जो अपीलार्थियों का विशिष्ट मामला है। इस प्रकार, गोन्स को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही थी। शांतिबाई के नाम पर संपत्ति दिखाई गई। और भी आगे 1969 में शांतिबाई ने निर्धारित [2019] 14 एस. सी. आर. की शिकायत के एक उपहार विलेख को निष्पादित किया।

ठीक से। इसके तुरंत बाद शांतिबाई और बच्चों के बीच विभाजन विलेख किए जाते हैं। इस प्रकार, शांतिबाई ने संपत्ति को अपना माना और उन्होंने तदनुसार निष्पादन किया।

उक्त आधार पर उपहार विलेख और बाद में विभाजन विलेख किया गया। फिर भी बाद में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई।

शांतिबाई के अधिकार को स्वीकार किया। स्थापित करना मुश्किल हो सकता है कि शांतिबाई ने उसके नुकसान के लिए काम किया। इसके अलावा रोकने या त्याग के बारे में कोई बचाव नहीं किया गया है। [पारस 87,88]

[923 - जी-एच; 924-डी-एफ]

ताहेराखातून (डी) एल. आर. वी. द्वारा। सलामबीन मोहम्मद (1999) 2 एस. सी. सी. 635: [1999] 1 एस. सी. आर. 901-पर निर्भर। एल. आर. द्वारा मोहम्मद अली (मृत)। वी. जगदीश कालिता और अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 271: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 325; जय सिंह और अन्य बनाम गुरमेज सिंह (2009) 15 एस. सी. सी. 747 [2009] 1 एस. सी. आर. 413; पी. जॉन चांडी एंड कंपनी।

(पी) लिमिटेड बनाम। जॉन पी. थॉमस (2002) 5 एससीसी 90: [2002] 3 एस. सी. आर. 549; एल. एन. अश्वत्थामा और एक अन्य बनाम। पी. प्रकाश

पटेल और अन्य बनाम। विठ्ठलभाई जयचंदभाई पटेल और अन्य (1996) 6 एस. सी. सी. 433: [1996] 6 पूरक। एससीआर 333; मोहिंदर सिंह और एक अन्य वी।

कश्मीरा सिंह अभाकर प्रभु नावेलकर (डी) बनाम। एस. ए. आर. ए. डी. सी. सी. स

पैरा 24

[1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 220 संदर्भित

पैरा 25

[2007] 5 एससीआर 491

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1997] 4 पूरक। एससीआर 49

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 पूरक। एससीआर 743

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

पूरक। एससीआर 333

[1996] 6

पैरा 29

[2003] 2 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 638 को संदर्भित किया गया

[1973] 2 एससीआर 835

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

(1994) 4 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2000] 3 पूरक। एससीआर 214

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[2016] 12 एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2018] 4 एससीआर 779

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[2011] 15 एससीआर 299

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

पैरा 46

[2001] 2 एससीआर 714

प्रतिष्ठित

[1979] 3 एससीआर 494

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2013] 1 एससीआर 903

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[1981] 1 एससीआर 943

संदर्भित किया गया है

पैरा 64

[2003] 2 पूरक। एससीआर 743

पैरा 71

संदर्भित किया गया है

(1999) एससीसी ऑनलाइन बॉम 109

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

[2000] 3 पूरक। एससीआर 214

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[1953] एससीआर 351

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

[2004] 1 पूरक। एससीआर 43

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

[1999] 1 एससीआर 901

उस पर भरोसा करें

पैरा 89

सी.

न्यायनिर्णयः

सिविल

अपील करें

अल नोस। 10501-10502 2014 का

उच्च न्यायालय के 20.11.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

दूसरी अपील संख्या में गोवा में एम. बी. ए. 16 और 2004 का 17

जे. पी. कामा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुमित गोयल, सार्थक गौर, राघव बार

सुरुचि कुमार, एम/एस। पारेख एंड कंपनी, एड. अपीलार्थियों के लिए

मुकुल रोहतगी, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , यशराज सिंह डे

एम. अग्रवाल, अनमोल मेहता, निनाद लॉड, इवो डी कोस्टा, मेसर्स। एम.

टी. टी. आर. कं., साहिल टागोत्रा, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था के. एम. जोसेफ, जे.

1. न्यायाधीश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा दीवानी अपीलें निर्देशित की जाती हैं।

गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय की दूसरी अपील संख्या।

16 2. प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम। शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

2004 का डी 17। अपीलार्थी वादी होते हैं। असंतुष्ट द्वारा

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया है। सी. टी. में निचली अदालत ने आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाया था। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। के द्वारा

कठोर निर्णय, उच्च न्यायालय ने प्रथम के निर्णय की पुष्टि की

अपीलीय न्यायालय।

2. हम निम्नलिखित वंशावली चार्ट का उल्लेख कर सकते हैं, जो

इसमें शामिल मुद्दों की बेहतर समझ बनानाः

अनुलग्नक पी-1

नवलकर परिवार

विंटेक्टेक्सा पोरोबो नलवेलकर

विंटला पोरोबो नावेलकर

(पत्नीः लैक्सिमी विंटला पोरोबो

(पत्नीः पद्मवती पोरबिनी)

नावेलकर)

(बेटियाँ)

(बेटा)

(डाउघर) बालाक्रिष्णा पोर्शोटामा श्रीनिवास नागेन

रामचंद्र

पीरू एलियास

सोरोस्पैटी

रोबो नलवेलकर

बिन्दु

विटोल के समूह/शाखाएँ

वेंक्टेक्सा का समूह पी/शाखा

DF.27

ता.

डी. एफ. 7

(बेटा)

(बेटा)

गोन्स पोरोबो

जरियाजी पोरोबो

नावेलकर

नावेलकर

(वाइफ

एफ. ई.: शांतिबाई)

पी. एम. ए. वी. ए. टी.)

डी28

पी3

पी1

एसएमटी। जैश्री

प्रेमानंद

प्रभाकर

(पतिः विष्णु कामत) डी 29

डी5

3. जैसा कि देखा जा सकता है, मुकदमा नवलकर परिवार की संपत्तियों से संबंधित है। दलों को स्थिति के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है

ट्रायल कोर्ट। वेंक्टेक्सा सूर्या पोरोबो नवलकर का विवाह एक पद्मावती से हुआ था। उनके एक बेटा था जिसका नाम रामचंद्र पोरोबो और एक बेटी का नाम पीरू था। रामचंद्र के दो बेटे थे, सुरियाजी और गोन्स। वादी नं. 1 और 3 गोन्स के पुत्र हैं। दूसरा वादी पहले वादी की पत्नी है और चौथा वादी पहली वादी की पत्नी है।

3 आरडी वादी। प्रतिवादी नं. 1 और 3 सूरियाजी के पुत्र हैं। प्रतिवादी नं. 2 वह प्रथम प्रतिवादी की पत्नी है। प्रतिवादी नं. 4 वह तीसरे प्रतिवादी की पत्नी है। प्रतिवादी नं. 5 प्रतिवादी की बहन नं। 1 और 3. प्रतिवादी सं। 7 27 को दूसरी शाखा से खींचा जाता है

नवलकर परिवार। जैसा कि वंशावली चार्ट वेंक्टेक्सा से देखा गया है।

नवलकर के भाई विटोल पोरोबो थे। विटोल पोरोबो की पत्नी लक्ष्मी थी। उनके चार बेटे थे। प्रतिवादी नं. 7 27 तक लेट विटोल की शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिवादी नं. 28 वादी संख्या की बहन है। 1 और 3 और 29 वां प्रतिवादी उसका पति है।

4. संक्षेप में अपीलार्थियों द्वारा स्थापित मामला इस प्रकार है। दो गुण मौजूद हैं जिन्हें "मैलोन" के रूप में जाना जाता है (इसके बाद "एम" के रूप में संदर्भित किया जाता है)

और "बैंगुइनिम" (इसके बाद "बी" के रूप में संदर्भित) गोवा के बैंगुइनिम गाँव में स्थित है। ये संपत्तियाँ एक-दूसरे से सटे हुए हैं। एम 90 हेक्टेयर (लगभग) में फैला हुआ है। बी का क्षेत्रफल 31 हेक्टेयर (लगभग) है। एक साथ वे वाद अनुसूची संपत्तियों का गठन करते हैं। एक उपहार विलेख द्वारा, दिनांक 09.03.1913, वेंक्टेक्सा ने एम की संपत्ति का आधा हिस्सा अपने पोतों, अर्थात् सुरियाजी और गोन्स को उपहार में दिया। वेंक्टेक्सा की पत्नी पद्मावती की मृत्यु पर आयोजित इन्वेंट्री कार्यवाही में, एम की शेष आधी संपत्ति और बी की पूरी संपत्ति उनकी बेटी पीरू को आवंटित की गई थी। वर्ष 1915 में, पीरू ने अपने पति के साथ, एक बिक्री विलेख द्वारा, संपत्ति एम में शेष आधा और पूरी संपत्ति बी को सूर्याजी और लक्ष्मी को समान भागों में बेच दिया। इसका मतलब था कि संपत्ति 'एम' में एक चौथाई अधिकार और 'बी' का एक चौथाई अधिकार सूर्याजी को बेच दिया गया था। बाद में के विघटन के विलेख के रूप में एक विलेख पर

खातों, भुगतानों और दायित्वों को 21.01.1919 पर निष्पादित किया गया।

यह अपने लिए और अपने भाई गोन्स के लिए था जिसने आधी कीमत चुकाई थी। इसलिए, सूर्याजी और उनकी पत्नी शांतिबाई ने हस्तांतरण प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम को प्रभावी बनाने का बीड़ा उठाया।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

सूरियाजी द्वारा अपने दादा से दिनांकित 09.03.1913 उपहार विलेख के तहत। इसलिए, दिनांकित बिक्री विलेख के तहत की गई खरीद के परिणामस्वरूप गोन्स संपत्ति एम के आठवें हिस्से और संपत्ति बी के चौथे हिस्से के हकदार बन गए। 17.11.1915 . वादी का आगे का मामला यह है कि संपत्ति एम में गोन्स का आधा हिस्सा गोन्स के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही में सार्वजनिक नीलामी में बेचा गया था। नवलकरों के हिंदू अविभाजित परिवार के विघटन के बावजूद, दोनों शाखाएं एक ही छत के नीचे अपने पैतृक घर में रहती रहीं। 1940 में या उसके आसपास संपत्ति से वार्षिक आय मुश्किल से रु। 1000 / - . गोन्स और उनके भाई सुरियाजी के परिवार हमेशा एक साथ रहते थे। 1949 में गोन्स अपनी नौकरी के कारण दमन चले गए। दिसंबर 1978 में अपनी मृत्यु तक उन्हें सूट संपत्ति से अपना हिस्सा मिलता था। गोन्स की मृत्यु के बाद, वादी को उनका हिस्सा नहीं दिया गया था। वादी ने पाया कि उनके नाम सर्वेक्षण अभिलेखों में शामिल नहीं थे। उन्होंने सर्वेक्षण अधिकारियों को एक आवेदन दिया। उन्हें 1983 में कहीं पता चला कि नवलकर के परिवार के एक या दो कनिष्ठ सदस्य सूट संपत्ति के कुछ हिस्से के निपटारे की तैयारी कर रहे हैं। सहायक द्वारा बिक्री की घोषणा का संदर्भ है।

पंजीयक मुकदमे की संपत्तियों के हिस्से के संबंध में बोलीदाताओं को सूचित करते हैं। उन्हें पहली बार दिनांकित 13.03.1969 विभाजन विलेख के बारे में पता चला और उन्होंने पाया कि वादी और अन्य सह-मालिकों को बाहर रखा गया है।

तदनुसार, उन्होंने निम्नलिखित राहत के लिए एक मुकदमा दायर कियाः

क्रमशः 3/8 वां और 1/4 वां होना और विटोल पोरोबो की शाखा के शेष प्रतिवादियों का हिस्सा मुकदमे में 1⁄2 होना। संपत्तियाँ।

(ख) यह घोषित करने के लिए एक डिक्री के लिए कि संबंधित प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित विभाजन विलेख अमान्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है और उक्त को रद्द करने के लिए

(ग) प्रतिवादी सं. के विरुद्ध डिक्री के लिए। 1 , 3 और 5 संयुक्त रूप से और अलग-अलग, वादी को आय के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए आय के उनके हिस्से के अनुपात में

1979 से मुकदमे की संपत्तियों में उपरोक्त अधिकार, वह हिस्सा जिसे कथित प्रतिवादियों को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है।

(घ) वादी के अधिकारों और शेयरों को विशेष रूप से ऊपर बताए गए अनुपात में अलग करने के लिए वाद संपत्तियों को विभाजित करने की डिक्री के लिए।

(ई) प्रतिवादी संख्या के नामों के साथ उनके नाम शामिल करने के लिए सर्वेक्षण रिकॉर्ड को सुधारने के लिए एक डिक्री के लिए। 28 और 29 द्वारा मुक़दमे की संपत्तियों के संबंध में पुनः सर्वेक्षण का निर्देश देना।

(च) सामान्य रूप से प्रतिवादियों और प्रतिवादी संख्या को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए। 1 6 और प्रतिवादी संख्या। 30 और 31 विशेष रूप से किसी भी प्रकार के सौदे पर बातचीत करने से वाद संपत्ति और/या उसके हिस्से का और/या उन्हें किसी भी तरह से या किसी भी तरह से निपटान करने से रोकता है।

5. उक्त मुक़दमे का विरोध किया गया। प्रतिवादियों (जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है) को चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक समूह में शामिल हैं -

प्रतिवादी नं। 1 , 2 , 30 और 31, दूसरे समूह में प्रतिवादी नं। 3 6 तक, तीसरे समूह में प्रतिवादी नं। 7 27 और चौथे समूह में प्रतिवादी नं। 28 और 29.

6. प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने वादी के मामले से इनकार किया कि संपत्ति पर उनका कोई अधिकार है। 7. वर्ष 1919 में, यह बताया गया कि नवलकरों का अविभाजित संयुक्त परिवार भंग हो गया। जहाँ तक 21.01.1919 दिनांकित निपटान विलेख की शर्त है, यह तर्क दिया जाता है कि रु। 1000 / - गोन्स द्वारा सुरियाजी को दोनों संपत्तियों में अविभाजित शेयरों को गोन्स को हस्तांतरित करने की शर्त पूर्ववर्ती थी। भुगतान की अवधि असीमित नहीं हो सकती है। सुरियाजी और उनकी पत्नी ने एक उपहार दिया। उपहार विलेख को स्वीकृति के उचित प्रदर्शन में निष्पादित किया गया। सूरियाजी की मृत्यु के बाद 07.05.1925 पर होने वाली इन्वेंट्री कार्यवाही का संदर्भ है और 16.12.1925 के आदेश द्वारा, M की संपत्ति का 1/4 और B की संपत्ति का 1⁄2 पुष्टि की गई थी और सुरियाजी की विधवा, श्रीमती को आवंटित किया गया था। शांतिबाई। गोन्स ने "वोगल" के रूप में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार, 1925 में सूट संपत्तियों के संबंध में, एम का 1/4 और बी का 1⁄2 शांतिबाई का था, एम का 1/4 और बी का 1⁄2 अभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v का था।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

xmi और M के 2 केवल गोन्स के थे। के स्वामित्व वाली संपत्ति

एस 1937 में बेचा जाने लगा। उक्त निष्पादन बिक्री का 1/4 भाग

आधा प्रतिवादी नं. द्वारा खरीदा गया था। 1,3 और 5 और शेष

लक्ष्मी के पुत्रों और मृत पिता द्वारा खरीदा गया था

डांट्स नहीं। 7 , 20 , 23 और क्रमशः 25। इस प्रकार, गोन्स का कोई अधिकार नहीं था

बी और एम।

8. उचित मुद्दों को तैयार करने के बाद, निचली अदालत ने आंशिक रूप से इसका फैसला सुनाया और विभाजन की प्रारंभिक डिक्री का निर्देश देने का आदेश दिया गया

डब्ल्यूएन ऊपर। वास्तविक अपवर्तक भाग इस प्रकार हैः

" मुकदमा आंशिक रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित और घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 28 और 29 के साथ वादी संपत्ति मोलान में आठवें हिस्से और संपत्ति बैंगुइनिम से चौथे हिस्से के हकदार हैं। और यह कि प्रतिवादी 1 से 6 क्रमशः 3/8 वें और 1/4 वें हिस्से के धारक हैं और शेष का हिस्सा

विटोल पोरोबो की शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी आधे हैं प्रत्येक मोलान और बैंगुइनिम गुणों में। नतीजतन,

विभाजन का विलेख दिनांक 31.3.1969 जिसके द्वारा दोनों गुण वादी, प्रतिवादी संख्या सहित संबंधित प्रतिवादियों द्वारा और उनके बीच विभाजित किया गया था। 28 और 29 को शून्य घोषित किया जाता है।

इस प्रकार रद्द किया जा सकता है।

प्रार्थना में विभाजन के लिए वादी की प्रार्थना (डी) को आवंटित वाद संपत्तियों से भूमि के क्षेत्र की अनुमति है वेंकटॉक्सा पोरोबो की शाखा, जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी 1 से 6 द्वारा दिनांकित 31.3.1969 विभाजन विलेख के तहत किया गया है। इसलिए कलेक्टर या किसी अधीनस्थ राजपत्र की मदद से सीमांकन के लिए वादी और प्रतिवादियों को अलग करने के लिए प्रारंभिक आदेश पारित किया जाता है।

सेक के तहत प्रदान किए गए कलेक्टर के। 54 सी. पी. सी. का सी. पी. सी. आर./डब्ल्यू. ओ. एक्स. एक्स. आर. 18 (1) दिनांकित 31.3.1969 विभाजन विलेख के वर्णानुक्रम अक्षर सी, बी और एफ के तहत क्षेत्र से जहां तक संभव हो तीसरे पक्ष के कब्जे का सम्मान करना और संबंधित उक्त भाग सी, बी और एफ को दिए गए सर्वेक्षण संख्याएँ। नं. 17/1,27/1,25/1,23/1 और 24/1। कलेक्टर को जहां तक संभव हो छह महीने के भीतर अनुपालन करना होगा।

सर्वेक्षण अधिकारियों ने भाग सी में आने वाली सर्वेक्षण संख्या के संबंध में वादी के दावे में परिवर्तन करने का निर्देश दिया।

बी एंड एफ अर्थात। 17/1 , 27/1 , 25/1 , 23/1 और 24/1।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी 1 से 6 को स्थायी रूप से विभाजन विलेख में सी, बी और एफ के रूप में चित्रित संपत्तियों के किसी भी आगे के हिस्से से निपटने और/या किसी भी तरह से निपटान करने से रोक दिया गया है।

31.3.1969 और संबंधित सर्वेक्षण संख्याएँ। 17/1 , 27/1 , 25/1 , 23/1 और 24/1, जब तक विभाजन प्रभावी नहीं हो जाता और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि।

तदनुसार प्रारंभिक डिक्री तैयार की जाए।

ओपन कोर्ट में उच्चारण किया गया "।

9. विचारण न्यायालय ने वाद का आदेश देते हुए निम्नलिखित तर्क का उपयोग कियाः

" 21.01.1919 दिनांकित निपटान विलेख दिनांकित 17.11.1915 बिक्री विलेख द्वारा कवर की गई संपत्ति के संबंध में गोन्स को अधिकार प्रदान करता है।

रुपये का भुगतान। 1000 / - और विचार के साथ कुछ भी नहीं करना है। भुगतान को दिनांकित 17.11.1915 के निपटान विलेख में भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया था। पंजीकरण द्वारा स्थानांतरण केवल था

गोन्स के अधिकारों और अनुपस्थिति की सुरक्षा और गारंटी। वहाँ था।

गोन्स के लिए निपटान विलेख के तहत अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। सूट संपत्तियों का कम से कम 1969 के विभाजन के विलेख तक संयुक्त रूप से आनंद लिया गया था। विभाजन का विलेख वादी और प्रतिवादियों के साथ नहीं किया गया था। 28 और 29 जो चचेरे भाई थे। इसलिए, यह अमान्य पाया गया "।

निपटान विलेख को सुसमाचार सत्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। दोनों भाइयों के बीच कुछ समझ हो सकती है। शर्त होनी चाहिए लक्ष्मी को भुगतान की गई राशि का आधा हिस्सा वापस करके गोन्स द्वारा पूरा किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य की सराहना की और पाया कि अभाकर प्रभु नावेलकर (डी) बनाम।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]संपत्ति में चट्टानों का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वे सह-मालिक नहीं थे, इसलिए यह माना जाता है कि विभाजन के विलेख को जंक्शन के बिना दर्ज किया जाना, इसे अवैध या अमान्य नहीं बनाएगा। यह भी पाया गया कि

यह सीमा कानून द्वारा वर्जित था। यह अभी भी पाया गया है कि कानूनी प्रतिनिधियों के पक्षकारों को शामिल न करने के कारण विज्ञापन को कम कर दिया गया था। तदनुसार, दो अपीलों की अनुमति दी गई और मुकदमा आया।

लागत के साथ खारिज कर दिया।

दूसरी अपील में उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय

11. उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपील को स्वीकार कर लिया गया था

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करनाः

" (1) चाहे घोषणा पत्र दिनांक 21.1.1919 के साथ पढ़े गए दिनांक 17.11.1915 के बिक्री विलेख के आधार पर, संपत्ति के एक-आठ मोलान और संपत्ति के एक-चौथाई बाइंगुइनिम का स्वामित्व स्थापित हो गया हो या घोषणा दिनांकित हो गई हो।

21.1.1919 क्या यह केवल एक समझौता था कि सूर्यजी ने दिनांकित डीड 17.11.1915 के तहत जो कुछ खरीदा था, उसका आधा हिस्सा गोन्स के पक्ष में बेच दिया गया था? (2) क्या घोषणा पत्र पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आशय की व्याख्या की गई है कि यह संपत्तियों में अविभाजित अधिकार के हस्तांतरण के लिए एक समझौते का गठन करता है

और बैंगुइनिम के भुगतान के अधीन गोन्स के पक्ष में

रु. 1000 / - एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में निचली अदालत के उस निष्कर्ष को उलटते हुए कि दो संपत्तियों में गोन्स के स्वामित्व को स्वीकार करते हुए घोषणा केवल हस्तांतरण के लिए प्रदान की गई थी

(3) चाहे संयुक्त संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा के लिए एक मुकदमे में, और एक विभाजन और उसे मेट्स और बाउंड्स द्वारा अलग करने के लिए, घोषणा के लिए प्रार्थना प्रमुख राहत है, और विभाजन एक सहायक है। एक, या घोषणा और विभाजन की राहत, प्रमुख राहत है और ऐसा मुकदमा सीमा के भीतर होगा, अगर 12 साल के भीतर दायर किया जाता है।

सामान्य संपत्तियों से वादी के निष्कासन का और नहीं

उनमें उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के 3 वर्षों के भीतर?

(4) क्या, दिनांकित 21.1.1919 की घोषणा पत्र की सही और सही व्याख्या पर, के लिए विकल्प का प्रयोग गोन्स के नाम पर हस्तांतरण, दिनांक 17.11.1915 के तहत खरीदी गई संपत्ति का आधा हिस्सा बिना किसी [2019] 14 एस. सी. आर. के किया जा सकता है।

सीमा, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विलेख में यह विशेष रूप से कहा गया था कि गोनेश के नाम पर स्थानांतरण होगा

"किसी भी समय वह चाहे" प्रभावित किया जाएगा?

(5) क्या अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए मुकदमे को मृत प्रतिवादियों के कुछ उत्तराधिकारियों को कथित रूप से न लाने के लिए समाप्त घोषित किया जा सकता है, जिनकी मृत्यु याचिका के लंबित रहने के दौरान हुई थी। प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान में उठाई गई किसी भी आपत्ति के अभाव में, कि मुकदमा आवश्यक पक्षों के गैर-भागीदार के लिए बुरा था, और क्या ऐसी आपत्ति केवल अपील के ज्ञापन में संशोधन करके उठाई जा सकती है और जब मृतक की संपत्ति का काफी प्रतिनिधित्व पहले से ही रिकॉर्ड में व्यक्तियों द्वारा किया गया था?

(6) क्या प्रतिवादी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों और सामग्री पर यह अभिनिर्धारित करना सही था कि वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा अधिक सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज होने के लिए उत्तरदायी था, जब इस तरह के निष्कर्ष का उद्देश्य था

अदालत का निष्कर्ष? "

12. अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि सूरियाजी ने दिनांक 1 के दस्तावेज़ में स्वीकार किया था कि संपत्ति एम का आठवां हिस्सा और संपत्ति बी का चौथा हिस्सा था।

जैसा कि संकेत दिया गया है, उनके द्वारा गोनसैंड गोन के लिए खरीदे गए योगदान का भुगतान करना था। भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। दस्तावेज़ में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि पूर्व भुगतान गोन्स द्वारा किया जाना चाहिए या भुगतान एक पूर्व शर्त है। यह आगे पाया गया कि संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए देयता की स्वीकृति को निरपेक्ष और असंदिग्ध के रूप में वर्णित किया गया है और

और 1940 या उनके जीवनकाल के दौरान। वादी इन आरोपों के बारे में नहीं देख रहे हैं कि गोन्स को उनका हिस्सा मिलता था। कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। यह शपथ के खिलाफ शपथ का मामला है। वादी गवाहों को पूर्ववर्ती तथ्यों की जानकारी नहीं थी। वादी के गवाहों के बयान अस्पष्ट पाए गए। निम्नलिखित हैं - न्यायालय द्वारा संक्षेपित निष्कर्षः

अभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 40. अभिवचनों और साक्ष्य के सामूहिक प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(क) गोनेश के हिस्से की मान्यता दस्तावेज़ में दी गई है।

दिनांकित 21.1.1919;

(ख) गोनेश के हिस्से की मान्यता या स्वीकृति के बावजूद, संपत्ति सूर्यजी की पत्नी शांतिबाई को दी जाती है, जो

सूर्यजी और गोनेश के परिवार के पास एकमात्र हिस्सा बचा था, पृष्ठभूमि में उनके स्वामित्व वाले हिस्से की नीलामी

MOLLANS संपत्ति में गोनेश।

(ग) यह तथ्य विवादित नहीं है कि गोनेश का हिस्सा बिक गया था। (घ) यह भी स्वीकार किया जाता है कि गोनेश ने आवंटन पर विवाद नहीं किया था।

सूर्यजी की पत्नी को संपत्ति।

(ई) आम तौर पर गोनेश लक्ष्मीबाई को हिस्से के आवंटन पर आपत्ति कर सकते थे, क्योंकि उनकी संपत्ति लक्ष्मीबाई को नहीं दी जा सकती थी और यह विषय नहीं हो सकता था।

वेंटरी, जिसे गोनेश ने चुनौती नहीं दी थी।

(च) इन सब को स्वीकार करने के बाद, अब गोनेश और उसके उत्तराधिकारी

दो दशकों से अधिक की लंबी अवधि के बाद उत्तराधिकार के उद्घाटन से अलग कर दिया जाता है।

(छ) वादी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि आनंद में संयुक्तता के आधार पर मुकदमा करने का उनका अधिकार बना हुआ है, और वे इसके हकदार होंगे।

मुकदमा करना।

41. यह वादी का मामला नहीं है कि उन्हें 1940 में इन्वेंट्री कार्यवाही के निष्कर्षों के आधार पर अंतिम अधिनियम के रूप में शांताबाई के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण की कोई जानकारी नहीं थी।

नतीजतन, निष्कर्ष यह है कि गणेश के पास जो भी अधिकार या ब्याज बचा हुआ था, वह खो गया था, क्योंकि गोनेश ने किसी भी समय शांतिबाई को संपत्ति के आवंटन को चुनौती नहीं दी थी, जो इन्वेंटरी कार्यवाही और रिकॉर्डिंग/रिकॉर्डिंग में आवंटित किया गया था। चुनौती के अभाव में उसके पक्ष में अधिकारों का पंजीकरण अंतिम रूप ले चुका है।

13. इसके बाद निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैंः

" 42. शांतिबाई के नाम पर संपत्तियों को दर्ज करने के बाद, उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने वादी को छोड़कर और खुले तौर पर प्रतिवादियों का समर्थन करते हुए सूट संपत्तियों का आनंद लिया है।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. हालांकि यह स्पष्ट है कि सह-मालिकों का अपने आप में अधिकार का पंजीकरण सह-स्वामित्व का दावा करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी।

हालांकि, कहा गया है कि फिर से खोलने का अधिकार सीमा की बाधाओं के बिना नहीं है, जब खुले तौर पर, संपत्तियों को वादी के पूर्ण बहिष्कार में प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के अनन्य आनंद में साबित किया जाता है।

पूर्ववर्ती "।

14. परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों के खिलाफ कानून के प्रश्नों का उत्तर दिया गया और अपीलों को खारिज कर दिया गया।

15. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. पी. कामा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता को सुना है।

16. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने पाया कि संपत्तियों में स्वामित्व था

और रुपये का भुगतान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। 1000 / - एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में, मुकदमे का फैसला किया जाना चाहिए था। जहाँ तक इन्वेंट्री कार्यवाही का संबंध है, उनका तर्क है कि यह वह मामला था जिसे प्रतिवादियों द्वारा स्थापित किया गया था। प्रतिवादियों पर यह दायित्व था कि वे इन्वेंट्री कार्यवाही प्रस्तुत करें। 17. वह आगे तर्क देंगे कि भले ही गोन्स, वादी के हित में पूर्ववर्ती, इन्वेंट्री कार्यवाही में पक्षकार थे और अपनी साली और बच्चों के नाम पर दर्ज की जा रही संपत्तियों पर आपत्ति नहीं करते थे, यह दिनांकित निपटान विलेख में स्वामित्व की स्वीकृति के प्रभाव को दूर नहीं करेगा।

21.01.1919 प्रभावित नहीं होगा। यह आगे तर्क दिया गया कि यह सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है कि वर्ष 1915 के बिक्री विलेख में संपत्ति प्राप्त करने के लिए विचार को गोन्स द्वारा आंशिक रूप से भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया था। केवल यह तथ्य कि गोन्स ने अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की, गोन्स के हित में वादी, उत्तराधिकारियों को, जो अभियोग अनुसूची संपत्तियों के सह-मालिकों के रूप में राहत लेने के हकदार थे, नहीं रोकेगा। जब शीर्षक को समाप्त नहीं किया गया था, तो अदालत ने गोन्स के नहीं उठाने के बारे में गलत निष्कर्ष निकाला है

लक्ष्मी को संपत्ति की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति। विरोध द्वारा सहमति नहीं हो सकती थी। न्यायालय ने प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम के प्रभाव को नहीं समझा है।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

न ही निष्पक्षता में अपीलकर्ताओं ने हस्तक्षेप का मामला बनाया है। लगभग छह दशकों के बाद मुकदमा शुरू किया गया है। जिन दस्तावेजों को वादी संग्रहित करते हैं। इन्वेंट्री कार्यवाही के साथ, पर्दा नीचे चला गया था। गोन्स खड़े रहे और अपनी साली और बच्चों को संपत्ति के मालिक के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी। उसके बाद गोन्स काफी लंबे समय तक जीवित रहे और फिर भी उन्होंने अपना जीवन नहीं बढ़ाया।

प्रतिवादियों के अधिकार या अधिकार के खिलाफ छोटी उंगली। गोन्स का निधन केवल 1978 में हुआ था। यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि गोन्स बहुत थे

विभाजन विलेख की पूर्व संध्या पर सदन में बहुत कुछ था और फिर भी उन्होंने तब या उसके बाद किसी भी समय अपनी मृत्यु तक कोई आपत्ति नहीं जताई। वे वास्तव में यह इंगित करेंगे कि गोन्स ने अपने उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू किए गए इस मुकदमे पर कभी विचार नहीं किया। यही कारण है कि 1925 में दिनांकित निपटान विलेख में गोन्स के पक्ष में अधिकार की इस स्वीकृति के बाद, उनके बड़े भाई सुरियाजी और उनकी पत्नी ने एक उपहार विलेख निष्पादित किया है और यह हमारे सामने दबाया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप गोन्स को 1919 के निपटान विलेख के संदर्भ में दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए कथित दायित्व के संदर्भ में जितना मिल सकता था, उससे अधिक मिल रहा था। तर्क का विस्तार करते हुए, यह बताया गया है कि संपत्ति एम का विस्तार लगभग 90 हेक्टेयर था, संपत्ति बी में शामिल थे

लगभग 31 हेक्टेयर। द्वारा निष्पादित 1913 के उपहार विलेख के तहत

सुरियाजी और गोन्स के दादा, उनके पक्ष में एम का एक चौथाई हिस्सा सुरियाजी और गोन्स को दिया गया था। इसका मतलब था कि दोनों को 22.50 हेक्टेयर जमीन मिली। सूरियाजी और विटोल की पत्नी लक्ष्मी ने दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा एम का एक चौथाई हिस्सा प्राप्त किया जो 22.5 हेक्टेयर के बराबर है और बी का आधा, जो 15.5 हेक्टेयर के बराबर है। इस प्रकार कुल मिलाकर एक सीमा तक 38 हेक्टेयर बिक्री विलेख का विषय बना। दिनांक 21.01.1919 के विघटन विलेख के अनुसार, गोन्स 19 हेक्टेयर के हकदार होंगे। यह आंकड़ा 38 हेक्टेयर के आधे अधिकार के रूप में आया है जैसा कि पहले गणना की गई है। हालाँकि, 14.04.1925 दिनांकित उपहार विलेख द्वारा, जो उपहार में दिया गया था, वह निस्संदेह एम का 1/4 वां अधिकार था जिसे सूर्याजी ने अपने [2019] 14 एस. सी. आर. से प्राप्त किया था।

दादा लेकिन जिसमें 22.5 हेक्टेयर शामिल था। इस प्रकार, यह बताया गया है कि 14.04.1925 दिनांकित उपहार विलेख के बाद, गोन्स में 45 हेक्टेयर था। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यदि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तो गोन्स को 64.12 हेक्टेयर मिलेगा और केवल 19 हेक्टेयर सुरियाजी की शाखा के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह बताया गया है कि यह न्यायालय विशेष अनुमति देने के बाद इन अपीलों की सुनवाई कर रहा है।

19. एक अपील में, इसलिए स्रोत, न्यायसंगत विचारों को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा मामला है जहाँ गोन्स ने एक

दिनांकित 21.01.1919 निपटान विलेख में पावती के संदर्भ में उसे जितना हिस्सा मिला होगा, उससे कहीं अधिक। विद्वान वरिष्ठ वकील हमें इस परिप्रेक्ष्य में गोन्स के आचरण के लिए आमंत्रित करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि गोन्स को अपने जीवनकाल के दौरान कोई शिकायत या शिकायत का कारण नहीं था। उनका आचरण तदनुसार अपने वैध देय को प्राप्त करने के साथ उनकी संतुष्टि पर आधारित है। उनके अधिकारों की पूर्ति की यह स्थिति उनके आचरण को "वोगल" के रूप में बताती है और उन कार्यवाही में स्वीकार करती है जिनके तहत उनकी साली को संपत्तियों के मालिक के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1969 में हुए विभाजन का भी संदर्भ है, जो 1925 के उपहार विलेख के 44 साल बाद हुआ था। यह भी बताया गया है कि न्यायालय इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि 1969 में हुए विभाजन के अलावा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी हुई थी। यह उनके अधिकारों की मान्यता में सुरियाजी की शाखा थी जिन्हें मुआवजा दिया गया था। उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। सूट में स्पष्ट रूप से समय की पाबंदी थी। यह भी प्रतिवादियों का मामला है कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे का अनुरोध किया है। यह तर्क दिया जाता है कि वादी साबित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं

कि उन्हें कोई आय प्राप्त हो रही थी। हमें इस संबंध में साक्ष्य के लिए ले जाया जाता है। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर भी आपत्ति जताई कि गोन्स के पास अधिकार था और तर्क दिया कि रुपये का भुगतान। 1000 / - लेकिन एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि 17.11.1915 दिनांकित बिक्री विलेख को सूर्याजी और लक्ष्मी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है। बिक्री विलेख में कुछ भी नहीं है, जो इंगित करता है कि बिक्री विलेख भी गोन्स के पक्ष में था। 21.01.1919 दिनांकित निपटान विलेख से जो होगा वह केवल यह था कि पक्षों ने गोन्स के पक्ष में 21.01.1919 दिनांकित दस्तावेज़ में पाठ के संदर्भ में संपत्ति के हस्तांतरण के एक अन्य दस्तावेज़ के निष्पादन पर विचार किया। यह, बदले में, गोन्स के विकल्प का उपयोग करने और रुपये का भुगतान करने पर निर्भर था। 1000 / - जो उसका हिस्सा था।

प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थियों द्वारा केस लॉ पर भरोसा किया गया

20. अपीलार्थियों द्वारा जिस मामले में कानून पर भरोसा किया गया था, उस मामले में मो. एलआरएस द्वारा मोहम्मद अली (मृत)। वी. जगदीश कालिता और अन्य 1, इस न्यायालय ने सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 पर विचार करते हुए अनिवार्य रूप से दोहराया है यह सिद्धांत कि लंबे समय तक और निरंतर कब्ज़ा अपने आप में प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं होगा। सह-स्वामी को भूमि के किराए और लाभ में भाग न लेना निष्कासन के बराबर नहीं है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने नोट किया है कि अधिनियम के अनुच्छेद 65 द्वारा शासित एक मुकदमे में, यदि वादी अपना हक साबित करने में सफल हो जाता है, तो अब यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मुकदमा दायर करने के 12 वर्षों के भीतर वह कब्जे में था। यह प्रतिवादी पर है कि वह दुश्मनी की संभावना साबित करे।

21. जय सिंह और अन्य बनाम। गुरमेज सिंह 2, इस न्यायालय ने सह-मालिकों के अंतर-अधिकार और देनदारियों से संबंधित सिद्धांतों को निम्नानुसार स्पष्ट किया हैः

" 9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद के पूर्ण पीठ के फैसले में भर्तुकासे [1981 पी. एल. जे. 204], लक्ष्मण सिंह मामले [ए. आई. आर. 1970 पी. एंड एच. 304] में पहले के निर्णय को तथ्यों पर अलग किया गया था। के अंतर अधिकारों और देनदारियों से संबंधित सिद्धांत

सह-भागीदार इस प्रकार हैंः

(1) एक सह-मालिक की पूरी संपत्ति में रुचि होती है और इसमें भी

उसका हर टुकड़ा।

(2) एक सह-मालिक द्वारा संयुक्त संपत्ति का कब्जा कानून की नजर में है, सभी का कब्जा, भले ही एक को छोड़कर सभी वास्तव में कब्जे से बाहर हों।

(3) केवल एक बड़े हिस्से या यहां तक कि एक पूरी संयुक्त संपत्ति पर कब्जा करना आवश्यक रूप से निष्कासन के बराबर नहीं है क्योंकि

एक का अधिकार सभी की ओर से माना जाता है।
(4) उपरोक्त नियम एक अपवाद को स्वीकार करता है जब किसी अन्य द्वारा सह-मालिक को निष्कासित किया जाता है। लेकिन सभी की ओर से संयुक्त अधिकार की धारणा को नकारात्मक बनाने के लिए, निष्कासन के आधार पर, एक सह-मालिक का अधिकार न केवल अनन्य होना चाहिए, बल्कि दूसरे के ज्ञान के प्रति शत्रुतापूर्ण भी होना चाहिए, जैसे कि जब एक सह-मालिक खुले तौर पर अपनी उपाधि का दावा करता है और दूसरे की उपाधि से इनकार करता है।

1 (2004) 1 एससीसी 271 2 (2009) 15 एससीसी 747 [2019] 14 एस. सी. आर.

(6) प्रत्येक सह-स्वामी को पति की तरह संयुक्त संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है जो दूसरों के समान अधिकारों के साथ असंगत नहीं है। सह-मालिक।

(7) जहाँ एक सह-मालिक के पास अन्य सह-मालिकों द्वारा सहमति दी गई व्यवस्था के तहत अलग-अलग पार्सल हैं, वहाँ किसी के लिए भी उनकी सहमति के बिना व्यवस्था में बाधा डालने का अधिकार नहीं है।

विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के अलावा अन्य।

22 अपीलार्थी, संक्षेप में, उक्त फैसलों के बल पर, हमारे सामने तर्क देते हैं कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पाया है कि गोन्स ने

प्रतिकूल कब्जा या निष्कासन साबित करने के लिए। 23. पी. जॉन चांडी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय। जॉन पी. थॉमस 3 को उस निष्क्रियता का तर्क देने के लिए सेवा में लगाया जाता है

वास्तव में यह निर्णय केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 के तहत लिया गया था। मकान मालिक द्वारा बेदखल करने का आरोप उप-पट्टा पर लगाया गया था। किरायेदार का तर्क था कि मकान मालिक की निहित सहमति थी। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के तहत विचार की गई सहमति कुछ सकारात्मक से संबंधित थी अभिनय करें। यह उसी के संदर्भ में था कि न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निष्क्रियता के संबंध में की गई टिप्पणियों को कम किया

स्वीकृति।

24. एल. एन. अश्वथामा और एक अन्य वी. पी. प्रकाश, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकूल अधिकार की याचिका स्वामित्व की याचिका के साथ असंगत है। इस न्यायालय ने इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 16. उनके अनुसार, दोनों याचिकाएं पारस्परिक रूप से असंगत होने के कारण, बाद की याचिका तब तक काम करना शुरू नहीं कर सकी जब तक कि पहली याचिका को त्याग नहीं दिया गया। मोहन लाल बनाम में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया था। मिर्जा अब्दुल गफ्फार [(1996) 1 एस. सी. सी. 639] ने एक ऐसे मामले पर विचार करते हुए कहा जहां प्रतिवादी ने अनुमत कब्जे और प्रतिकूल कब्जे की दलीलें उठाई थीं: (एससीसी पीपी। 640-41 , पैरा 4)

3 (2002) 5 एससीसी 90

4 (2009) 13 एस. सी. सी. 229 अभाकर ने प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 4. जहाँ तक पहली याचिका का संबंध है, यह दूसरी याचिका के साथ असंगत है। [बिक्री] समझौते के तहत कब्जे में आने के बाद,

उसे इसके तहत अपने अधिकार का खुलासा करना चाहिए और दलील देनी चाहिए और साबित करना चाहिए

हस्तांतरणकर्ता या उसके उत्तराधिकारी के ज्ञान के लिए उसके स्वतंत्र शत्रुतापूर्ण प्रतिकूल कब्जे का दावा-शीर्षक या हित में-और यह कि बाद वाले ने अपने अवैध कब्जे को स्वीकार कर लिया था

12 वर्षों की पूरी अवधि के दौरान यानी अपने शीर्षक की अवधि को प्रिस्क्रिप्शन एन. ई. सी. वी., एन. ई. सी. एल. ए. एम., एन. ई. सी. एल. ए. एम. द्वारा पूरा करने तक [द्वारा नहीं

हिंसा, चुपके से नहीं, अनुमति से नहीं]। चूँकि अपीलार्थी का दावा संपत्ति हस्तांतरण की धारा 53-ए पर आधारित है।

अधिनियम, 1882], यह बिना कहे चला जाता है कि वह निहितार्थ से स्वीकार करता है कि वह कानूनी रूप से भूमि के कब्जे में आया था

समझौता किया और मुकदमे की तारीख तक कब्जे में बना रहा। इसके द्वारा प्रतिकूल अधिकार की याचिका अपीलार्थी के लिए उपलब्ध नहीं है।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। दावा करने के लिए

प्रिस्क्रिप्शन द्वारा स्वामित्व का, यानी 12 वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रतिकूल कब्जा, दावेदार का कब्जा भौतिक/वास्तविक, अनन्य, खुला, निर्बाध, कुख्यात और बारह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण होना चाहिए। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि लंबे समय तक और निरंतर कब्ज़ा अपने आप में प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं होगा यदि यह या तो अनुमत कब्ज़ा या बिना किसी शत्रुता के कब्ज़ा था। स्वामित्व और प्रतिकूल अधिकार पर आधारित याचिकाएं पारस्परिक रूप से असंगत हैं और बाद वाला तब तक काम करना शुरू नहीं करता जब तक कि पहले वाले का त्याग नहीं हो जाता। जब तक कि संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को वास्तविक मालिक की उपाधि के प्रतिकूल संपत्ति रखने के लिए आवश्यक दुश्मनी नहीं है,

प्रिस्क्रिप्शन की अवधि शुरू नहीं होगी। (पी. पेरियासामी बनाम। पी. पेरियाथांबी [(1995) 6 एस. सी. सी. 523], मो. मोहम्मद अली बनाम। जगदीश कालिता [(2004) 1 एस. सी. सी. 271] और पी. टी. मुनिकन्ना रेड्डी बनाम। रेवम्मा [(2007) 6 एससीसी 59])।

18. हालाँकि हमारा विचार है कि मोहन लाल [(1996) 1 एस. सी. सी. 639] में वादी द्वारा भरोसा किया गया निर्णय लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवादी ने इसमें दलील दी थी कि वह कब्जे में था, आंशिक रूप से कब्जा प्राप्त किया-एक बिक्री समझौते का प्रदर्शन। जैसा कि प्रतिवादी ने उसमें स्वीकार किया कि वह बिक्री के समझौते के तहत कानूनी रूप से कब्जे में आया था और इस तरह के [2019] 14 एस. सी. आर. में बना रहा।

कब्जा, कोई प्रतिकूल कब्जा नहीं था। यह है मामला

अलग, क्योंकि प्रतिवादी ने यह तर्क नहीं दिया कि उसने प्रवेश किया

वादी के अधीन या उसके माध्यम से अधिकार। उसका मामला यह था कि वह

1962 से गौरम्मा के अधीन एक किरायेदार के रूप में अधिकार में था और

वह गौरम्मा से भूखंड खरीदकर मालिक बन गया।

1985. उन्होंने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि अगर गौरम्मा के पास नहीं था

उपाधि और परिणामस्वरूप उपाधि के आधार पर उनके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, तब

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह सेटिंग द्वारा कब्जे में था

गौरम्मा में और बाद में अपने आप में, उनके कब्जे में था

सच्चे मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण; और अगर वह ऐसा करने में सक्षम था

शत्रुतापूर्ण कब्जा 12 साल से अधिक समय तक जारी रहा, वह कर सकता था प्रतिकूल कब्जे से अपने खिताब को परिपूर्ण करने का दावा करते हैं। वहाँ है।

प्रतिवादी के विवाद में काफी बल बशर्ते कि वह

12 वर्ष से अधिक समय तक प्रतिकूल अधिकार स्थापित करने में सक्षम है।

जब कोई व्यक्ति मालिक होने का दावा करता है, भले ही वह अपनी उपाधि स्थापित करने में विफल रहता है, फिर भी उसका अधिकार प्रतिकूल होगा

असली मालिक के लिए। इसलिए, द्वारा प्रस्तुत दो दलीलें

इस मामले में प्रतिवादी असंगत दलीलें नहीं बल्कि वैकल्पिक हैं।

वादी कि प्रतिकूल अधिकार का अनुरोध उपलब्ध नहीं है प्रतिवादी को अस्वीकार कर दिया जाता है। ”

_ (जोर दिया गया)

25. कुलदिप महटन और अन्य बनाम। भूलन महतो (मृत)

एल. आर. और अन्य, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया है कि संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में, संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्यों के बीच हित का समुदाय और अधिकार की एकता है। तथ्य यह है कि

सह-भागीदारों में से एक संयुक्त कब्जे में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बेदखल कर दिया गया है। इसलिए, एक का अधिकार, यह पाया गया था, सभी का अधिकार है। किराया और राजस्व के संग्रह के लिए बड़े भाई के नाम पर परिवर्तन, अन्य की तुलना में शत्रुतापूर्ण शीर्षक साबित नहीं होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां अधिकार को वैध अधिकार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, वहां इसे प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

26. पी. टी. नगरपालिका रेड्डी और अन्य बनाम। रेवम्मा और

अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकूल अधिकार की याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में कोई समानता नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है और प्रतिकूल कब्जे की याचिका को उसी के आलोक में देखा जाना चाहिए।

3 (1995) 2 एससीसी 43

6 (2007) 6 एस. सी. सी. 59 प्रभाकर ने प्रभु नावेलकर (डी) बनाम. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

27. उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्य बनाम सार्वभौमिक निर्यातक और अन्य 7, इस न्यायालय ने उस तारीख को साबित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जब प्रतिवादी

कब्जा वादी के अधिकार के प्रतिकूल हो गया।

28. पुनीत राय बनाम। दिनेश चौधरी पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया जाता है कि एक व्यक्ति के ज्ञान के भीतर एक तथ्य को उक्त द्वारा साबित किया जाना चाहिए

व्यक्ति, और यदि उक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह

यह निष्कर्ष कि यदि साक्ष्य प्रस्तुत किया गया होता, तो यह पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता।

29. संकल्पन जयचंदभाई पटेल और अन्य बनाम। विठ्ठलभाई जयचंदभाई पटेल और अन्य लोगों पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया जाता है कि उत्परिवर्तन प्रविष्टियां केवल राज्य को कब्जे वाले व्यक्तियों से राजस्व एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए हैं और जो उसमें स्वामित्व या ब्याज पैदा नहीं करते हैं।

30. मोहिंदर सिंह और एक अन्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय। कश्मीरा सिंह 1 ओ पर भरोसा किया जाता है

यह तर्क देते हुए कि विरासत के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं है और अधिनियम की धारा 65 नहीं है लागू होता है। पैराग्राफ 6 में डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया थाः

" 6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे प्रतिवादी के विद्वान वकील के विवाद में बल मिलता है। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि विरासत और अंतिम पुरुष धारक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी स्थगित नहीं रहते हैं।

कानून के अनुसार मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी। कश्मीर सिंह, मृतक निरंजन सिंह का बेटा होने के नाते, विवादित भूमि में एक तिहाई हिस्से का हकदार था। निरंजन सिंह की मृत्यु के बाद, उन्हें विरासत के आधार पर कब्जे के लिए कोई मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। अंतिम पुरुष धारक की मृत्यु पर वह संपत्ति में अपने हिस्से का पूर्ण मालिक बन गया था। के लिए

एक उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकार को स्थापित करते हुए, उन्हें मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब उत्तराधिकारी विरासत में मिली संपत्ति के कब्जे में नहीं हो। उस स्थिति में कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर करना पड़ सकता है और प्रतिस्पर्धा पर वह विफल हो सकता है

प्रतिवादी यह साबित करता है कि उसने प्रतिकूल कब्जे से अपने खिताब को परिपूर्ण कर लिया है। यह ऐसे प्रकार का मुकदमा है जो द्वारा शासित होता है

(1997) 7 एस. सी. सी. 531

(2003) 8 एससीसी 204

9 (1996) 6 एस. सी. सी. 433

10 AIR 1985 P & H 215 [2019] 14 S. C. R.

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के प्रावधान। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस संबंध में, मैं पाता हूं कि आर. एन. मित्तल, जे. द्वारा नागिंदर सिंह के मामले (1983 सी. आर. आई. एल. जे. 432) (ऊपर) में लिया गया दृष्टिकोण कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विरासत के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया जाना चाहिए विरासत खुलने की तारीख से बारह साल की अवधि के भीतर, सही कानून निर्धारित नहीं करता है। विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्णय के पैरा 9 में जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है, उनमें ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरी ओर, उन सभी फैसलों में यह प्रतिवादियों का प्रतिकूल अधिकार था जिसे बरकरार रखा गया था। इस प्रकार मेरा मानना है कि इस आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है

विरासत "।

31. अशोक कुमार और अन्य बनाम। गंगाधर और एक अन्य एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

इन मुकदमों में वादी ने निचली अदालत के समक्ष स्थापित किया कि यह डी-1 के पिता की स्व-अर्जित संपत्ति है और उन्होंने इसे दो अलग-अलग बिक्री विलेखों के तहत खरीदा है। ऐसे मामले में, सूट है अधिनियम के अनुच्छेद 65 द्वारा शासित क्योंकि यह बेदखल होने के 12 वर्षों के भीतर दायर किया गया था। लेकिन यह प्रतिवादियों को दिखाना है कि वादी 12 साल से अधिक समय से कब्जे से बाहर था। तत्काल मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और बेदखल होने की तारीख से तीन साल पूरे होने के तुरंत बाद मुकदमा दायर किया गया था। यदि प्रतिवादियों का यह तर्क कि अनुच्छेद 58 अधिकार के आधार पर अधिकार के लिए मुकदमे पर लागू होता है, जहां अधिकार की घोषणा भी मांगी जाती है, स्वीकार किया जाता है, तो यह अधिकार की वसूली के लिए राहत की अनदेखी करने और अधिकार के लिए मुकदमे में अनुच्छेद 65 के आवेदन के बराबर होगा और वादी के यह साबित करने के अधिकार को छीन लेगा कि मुकदमा उस तारीख से 12 साल के भीतर है जब प्रतिवादी का अधिकार वादी के लिए प्रतिकूल हो जाता है। यदि इस तरह के मुकदमे का निर्णय अनुच्छेद 58 के संदर्भ में इस आधार पर किया जाता है कि घोषणा की मांग की गई है, तो अधिकार के लिए मुकदमे में अनुच्छेद 65 के आवेदन को अनुचित माना जाएगा। इस तरह का निर्देश कानूनों की व्याख्या के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इसलिए, सीमा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेदों

2007 ए. पी. 145 अभाकर प्रभु नावेलकर (डी) बनाम। शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

एकर व्याख्या सामंजस्यपूर्ण रूपसँ करबाक चाही। जब ऐसी व्याख्या अनुच्छेद 58 और 65 को दी जाती है और जब इसके लिए मुकदमा दायर किया जाता है मेरे विनम्र विचार में कब्जे की परिणामी राहत के साथ वाद संपत्ति के अधिकार की घोषणा सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू होगा न कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58

यह उस मामले में लागू होता है जहां घोषणा सरलीकरण की मांग की जाती है

मेरे विनम्र विचार में अधिकार के बिना सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू होगा न कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 उस मामले पर लागू होता है जहां बिना किसी और राहत के घोषणा सरलीकरण की मांग की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहलू सीमा अधिनियम पर अपनी 89 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग के विचार का विषय रहा है और आयोग ने सीमा अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 58 में संशोधन की सिफारिश की है। शब्द के बाद "आगे राहत मांगे बिना" जोड़कर

' अनुसूची के अनुच्छेद 58 के पहले कॉलम में घोषणा।

32. बनारसी और अन्य में v. राम फाल 1 2, इस न्यायालय ने आदेश XLI नियम 22 के तहत एक अपील में एक प्रतिवादी के GHTS पर विचार किया

सिविल प्रक्रिया, 1908 अन्य बातों के साथः

" 10. 1976 के सी. पी. सी. संशोधन ने भौतिक रूप से या

मामूली अंतर को छोड़कर कानून में काफी बदलाव किया गया। यहां तक कि संशोधित आदेश 41 नियम 22 उप-नियम (1) के तहत भी एक पक्ष जिसका आदेश पूरी तरह से पक्ष में है, वह न तो किसी भी प्रति-आपत्ति को प्राथमिकता देने का हकदार है और न ही बाध्य है। हालांकि, उप-नियम (1) के पाठ में सम्मिलित करने से किसी निष्कर्ष के खिलाफ प्रति-आपत्ति दर्ज करने की अनुमति मिलती है। जो अंतर है

जिसके परिणामस्वरूप हम जल्द ही बता देंगे। एक प्रतिवादी कोई प्रति-आपत्ति दर्ज किए बिना अपना बचाव कर सकता है जिस हद तक डिक्री उसके पक्ष में है; हालाँकि, यदि वह डिक्री के किसी भी हिस्से पर हमला करने का प्रस्ताव रखता है, तो उसे प्रति-आपत्ति लेनी चाहिए। 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया संशोधन स्पष्टीकरणात्मक और सक्षम भी है और प्रावधान का विश्लेषण करके इसे सटीक बनाया जा सकता है। हो सकता है तीन स्थितियाँः

(i) आक्षेपित डिक्री आंशिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में है और

आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में।

((ii) डिक्री पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में है, हालांकि प्रतिवादी के खिलाफ एक मुद्दे का फैसला किया गया है।

(iii) डिक्री पूरी तरह से प्रतिवादी और सभी के पक्ष में है

मुद्दों का जवाब भी प्रत्यर्थी के पक्ष में दिया गया है लेकिन फैसले में एक निष्कर्ष है जो इसके खिलाफ जाता है

उत्तरदाता।

11. मामले के प्रकार में (i) प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक था कि -

उस भाग के खिलाफ अपील दायर करें या प्रति-आपत्ति लें

डिक्री जो उसके खिलाफ है यदि वह उससे छुटकारा पाना चाहता है

यद्यपि डिक्री का वह भाग जो उसके पक्ष में है, वह हकदार है।

बिना किसी आपत्ति के समर्थन करना। कानून बना रहता है।

तो संशोधन के बाद भी। मामलों के प्रकार में (ii) और (iii)

पूर्व-संशोधन सी. पी. सी. ने प्रत्यर्थी को न तो अधिकार दिया और न ही अनुमति दी

कोई भी क्रॉस-आपत्ति लें क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति नहीं था आदेश को। संशोधित सी. पी. सी. के तहत, के प्रकाश में पढ़ें

स्पष्टीकरण, हालांकि यह अभी भी प्रतिवादी के लिए आवश्यक नहीं है

किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष को चुनौती देने वाली कोई भी प्रति-आपत्ति लें उसके लिए क्योंकि डिक्री पूरी तरह से उसके पक्ष में है और वह समर्थन कर सकता है

क्रॉस-आपत्ति के बिना डिक्री; में किया गया संशोधन

उप-नियम (1) का पाठ, नए अंतःस्थापित स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है

डिफ़ॉल्ट रूप से क्रॉस-आपत्ति को वापस ले लिया गया या खारिज कर दिया गया प्रत्यर्थी द्वारा कोई भी निष्कर्ष अभी भी उपलब्ध होगा

गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया कि कौन सा उपाय उपलब्ध नहीं था

अपरिवर्तित सी. पी. सी. के अधीन प्रत्यर्थी। में

मूल अपील ने प्रतिवादी को सवाल करने के लिए अक्षम कर दिया खिलाफ दर्ज किसी भी निष्कर्ष की शुद्धता या अन्यथा

उत्तरदाता "।

(जोर दिया गया)

इस स्थिति को हरदेवेंद्र सिंह बनाम में दोहराया गया है। परमजीत एन और अन्य 13 1 3।

33. मोहन लाल (मृत) अपने एलआरएस के माध्यम से। काचरू और एस वी। मिर्जा अब्दुल गफ्फार और अन्य 1,4, इस अदालत ने माना कि

3) 9 एस. सी. सी. 261 5) 1 एस. सी. सी. 639 प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम। शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थी की प्रतिकूल कब्जे की पहली याचिका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53ए के तहत कब्जे की दूसरी याचिका के साथ असंगत थी। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि समझौते के तहत कब्जे में आने के बाद, उसे इसके तहत अपने अधिकार का दावा करना चाहिए और हस्तांतरणकर्ता के ज्ञान के लिए स्वतंत्र शत्रुतापूर्ण प्रतिकूल कब्जे के दावे को साबित करना चाहिए।

जिम्मेदारों द्वारा केस लॉ पर भरोसा किया गया

34. शीला रोड्रिग्स और एक अन्य मामले में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। लौरेंसिन्हा एना डीक्रूज़

रोड्रिग्स फर्नांडिस 1 5 इस दृष्टिकोण के लिए कि इन्वेंट्री कार्यवाही स्वामित्व अधिकारों की घोषणा की प्रकृति में हैं और यह आरईएम में एक निर्णय की तरह है। यह स्पष्ट रूप से यह तर्क देने के लिए है कि गोन्स के लिए दिए गए समय पर आपत्ति करना आवश्यक था।

35. राज नारायण पांडे और अन्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय v. संत प्रसाद तिवारी और अन्य पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया जाता है कि

स्थानीय कानून के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा कई वर्षों में लिए गए दृष्टिकोण का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए। इसे इस न्यायालय द्वारा जय लक्ष्मी साल्ट वर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम में दोहराया और इंगित किया गया है। गुजरात राज्य 1 7.

36. दिलबू में इस न्यायालय का निर्णय (श्रीमती.) (मृत) एलआरएस द्वारा। और अन्य वी। धनराजी (श्रीमती) (मृत) और अन्य 1 8, पर बहस करने के लिए भरोसा किया जाता है

कि एक बार जब किसी दस्तावेज़ का पंजीकरण हो जाता है, तो उसके बारे में ज्ञान माना जाता है और सीमाएँ काम करना शुरू कर देंगी। उत्तरदाता विश्राम में इस न्यायालय के फैसले से भी समर्थन चाहते हैं

उर्फ प्रसाद गोवेकर और अन्य बनाम। कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा सुदेश गोवेकर (मृत) 1 9 जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 18. हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं, जिसके आधार पर पहली अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी मुकदमे की संपत्ति के मालिक हैं, जो अधिकार उन्हें वादी 1 से 3 के पिता वासुदेव गोवेकर से विरासत में मिले हैं। के निष्कर्ष नीचे दिए गए न्यायालय मुकदमे की संपत्ति हैं। अंजुना के कम्युनिडेड के तलहाओ नंबर 168 का अधिग्रहण वासुदेव गोवेकर ने अंजुना के कम्युनिडेड से 24-2-1970 पर नंबर 131/1963 के तहत किया था।

15 (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 109 16 (1973) 2 एससीसी 35 17 (1994) 4 एससीसी 1

18 (2000) 7 एस. सी. सी. 702

इस स्वामित्व को साबित करें, न केवल उक्त अनुदान को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया था, बल्कि वादी ने इन्वेंट्री का साक्ष्य भी दायर किया था वासुदेव गोवेकर की मृत्यु के बाद शुरू की गई कार्यवाही में मुकदमे की संपत्ति का वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त, विधिवत घोषित सर्वेक्षण

वासुदेव गोवेकर के नाम पर संपत्ति को दर्शाने वाले रिकॉर्ड भी पेश किए गए।

XXX

XXX

XXX

स्वयं, हम इस प्रस्तुति में वजन की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभिवचनों पर बारीकी से और सूक्ष्म रूप से गौर करने से पता चलेगा कि जहां तक वाद संपत्ति का संबंध है, सह-स्वामित्व के बारे में वादी की ओर से कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। वादपत्र के पैरा 3 में, वादी ने उस वाद संपत्ति का विवरण दिया है जिसे आम तौर पर "देवलवाड़ी" के रूप में जाना जाता है, जो 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अंजुना, बारदेज़, गोवा के गाँव चिनवर में स्थित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संपत्ति पर सर्वेक्षण संख्या 251/2 है और वादी ने इसे "वाद संपत्ति" के रूप में वर्णित किया है। पैरा 4 में, यह उल्लेख किया गया है कि वासुदेव गोवेकर ने इस संपत्ति का अधिग्रहण अंजुना के समुदाय से किया था। पैरा 6 में यह उल्लेख किया गया है कि इस सूट संपत्ति पर, अधूरी संरचना थी वासुदेव गोवेकर द्वारा उठाया गया जिसे वादी ने "सूट हाउस" के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार, वादी द्वारा वासूदेव गोवेकर के माध्यम से स्वामित्व का दावा किया जाता है, जिन्होंने संपत्ति का अधिग्रहण किया था।

सर्वेक्षण सं. 251/2 (सूट संपत्ति) जिस पर उन्होंने अपूर्ण संरचना (सूट हाउस) का निर्माण किया था। उसी समय, पैरा 5 में, जिस पर प्रतिवादियों द्वारा दिखाने के अपने प्रयास में भरोसा किया जाता है सह-स्वामित्व के बारे में वादी का स्वीकार करते हुए, वादी ने कहा है कि वाद संपत्ति के पूर्वी हिस्से की ओर, वहाँ प्रभाकर प्रभु नावेलकर (डी) v.

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

सर्वेक्षण संख्या 251/4 वाली एक अन्य संपत्ति मौजूद है। वादी ने दलील दी कि इस भूमि पर, जिस पर एक घर भी बनाया गया है, उनके दादा जगन्नाथ गोवेकर (के पिता) की थी।

प्रतिवादी 1) और यह वह संपत्ति है जिसके बारे में वादी कहते हैं कि यह वादी और प्रतिवादियों के सह-स्वामित्व में है। इस प्रकार,

वादी और प्रतिवादियों के बारे में स्वामित्व और कब्जे में सह-मालिकों के रूप में बयान सर्वेक्षण संख्या 251/4 वाली संपत्ति से संबंधित है जो मुकदमे का विषय नहीं है।

37. पक्ष अपनी दलीलों से परे नहीं जा सकते हैं, उत्तरदाताओं की ओर से एक और तर्क चलाते हैं। इस संदर्भ में

अपीलार्थी का तर्क कि शांतिबाई (सुरियाजी की पत्नी) ने गोन्स के लिए संपत्ति को ट्रस्ट में रखना जारी रखा। उत्तरदाताओं का तर्क है कि पुर्तगाली संहिता के तहत गोवा में प्रचलित नागरिक कानून प्रणाली में विश्वास की कोई अवधारणा नहीं है। ट्रस्ट पर आधारित मामले को कभी भी शिकायत में नहीं रखा गया था।

38. यूरेखा बिल्डर्स और अन्य बनाम। गुलाबचंद, दामाद वेलजी दंड कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा मृत होने के बाद से 20 पर भरोसा किया जाता है

समय की। पुर्तगाली संहिता के अनुच्छेद 535 के साथ पठित अनुच्छेद 505 के परिणामस्वरूप गोन्स के अधिकार समाप्त हो गए। तर्क के लिए यह मानते हुए कि निपटान विलेख के तहत गोन्स के साथ कुछ अधिकार मौजूद थे ऐसा कहा जाता है कि 1919 के अनुच्छेद 535 के तहत ऐसे सभी अधिकार 1939 में, यानी 1919 से 20 साल या 1949 में, यानी 1919 से 30 साल में समाप्त हो गए थे। गोवा के भारतीय संघ का क्षेत्र बनने से पहले ही गोन्स के अधिकार समाप्त हो चुके थे।

39. रिलायंस को खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 30 पर भी रखा गया है और एक अन्य v. अधिनियम के अनुच्छेद 58 के प्रभाव के संबंध में भारत संघ और अन्य 2 1। इसमें, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 58 को अधिनियमित करते समय, विधायिका ने योजनाबद्ध रूप से संविधान के अनुच्छेद 120 की भाषा से विचलन किया है।

1908 का अधिनियम। "पहले" शब्द का उपयोग "मुकदमा" और "उपार्जित" शब्दों के बीच किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई मुकदमा कार्रवाई के कई कारणों पर आधारित है, तो सीमा की अवधि उस तारीख से चलने लगेगी जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है। इसे रखने के लिए

20 (2018) 8 एससीसी 67 21 (2011) 9 एससीसी 126 [2019] 14 एस. सी. आर.

अलग तरह से, अधिकार का लगातार उल्लंघन नए कारण को जन्म नहीं देगा और मुकदमा खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा यदि यह उस दिन से गणना की गई सीमा की अवधि से परे है जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार अर्जित किया गया था।

40. यह उनका मामला है कि मुकदमा स्वामित्व की घोषणा के लिए भी है, इसलिए मुकदमा स्पष्ट रूप से 1925 में पहली बार अर्जित किए गए मुकदमे के अधिकार के रूप में वर्जित है।

41. अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय एल. आर. एस. द्वारा ताहेराखातून (डी) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान दे सकता है। वी. सलामबीन मोहम्मद 22 और पक्ष में विवेक का प्रयोग करने से इनकार करते हैं

अपीलार्थी, वर्ष 1913,1915,1919,1925 के दस्तावेजों के बाद विभिन्न तथ्यों, लंबे समय के अंतराल और इस बीच हुए विकास को ध्यान में रखते हुए।

42. पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए और विचार करना चाहिए वह यह है कि वास्तव में वह संपत्ति क्या है जो मुकदमेबाजी में शामिल है।

43. जैसा कि हमने अपने फैसले की शुरुआत में देखा है, संपत्ति

' 'एम' में लगभग 90 हेक्टेयर शामिल थे जबकि संपत्ति 'बी' में लगभग 31 हेक्टेयर शामिल थे। 1913 के उपहार विलेख द्वारा, सुरियाजी के दादा

और गोन्स ने सूर्याजी और गोन्स दोनों को संपत्ति 'एम' में एक-आधा अधिकार उपहार में दिया था। इसके बाद, संपत्ति 'एम' में आधा हिस्सा और पूरी संपत्ति 'बी' सूर्याजी की चाची (पिता की बहन) के पास आ गई और गोन्स। 1915 में चाची ने अपने पति के साथ मिलकर सूरियाजी और दूसरी शाखा को अधिकार देने वाले बिक्री विलेख को निष्पादित किया। , विटोल। इसके बाद, 1919 में, विघटन विलेख, जो अपीलार्थी के मामले का आधार पत्र है, निष्पादित किया गया। यह इसके तहत है कि संपत्ति पर गोन्स के स्वामित्व की स्वीकृति, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है, जिसे सूर्याजी के पक्ष में बिक्री का उनका विषय बनाया गया है।

44. इसके अलावा, 1925 में, सुरियाजी ने अपनी पत्नी के साथ एक उपहार विलेख निष्पादित किया। उसी के तहत, दानदाताओं ने प्राप्त अधिकारों को उपहार में दिया है

दस्तावेज़ के तहत उपहार विलेख के तहत सुरियाजी को उनके पक्ष में निष्पादित किया गया

1913 में उनके दादा द्वारा। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 1937 में उनके दादा द्वारा 1913 में उनके पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख के तहत अर्जित गोन्स के अधिकार और 1925 में उनके भाई और साली द्वारा उपहार विलेख के तहत उनके द्वारा अधिग्रहित संपत्ति भी गोन्स के खिलाफ प्राप्त डिक्री के निष्पादन में नीलामी में बेची गई। वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है

22 (1999) 2 एस. सी. सी. 635 प्रभाकर ने प्रभु नावेलकर (डी) बनाम. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

गोन्स की पैतृक चाची और उनके पति द्वारा सूरियाजी और उनकी पत्नी और दूसरी शाखा के पक्ष में स्पष्ट रूप से निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर। अपीलकर्ताओं का दावा है कि सूरियाजी और उनकी पत्नी को एक बिक्री विलेख के तहत दी गई संपत्ति 'एम' का एक-आठवां हिस्सा एक-चौथाई है। द. अपीलकर्ताओं का यह भी दावा है कि सूर्यजी और उनकी पत्नी को दी गई संपत्ति 'बी' में एक-चौथाई हिस्सा एक-आधा है।

1915 .

पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत पूर्वनिर्धारण

45. निस्संदेह, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थित संपत्तियों पर 20.12.1961 तक पुर्तगालियों का शासन था। उस पर

20.12.1961 , गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 505 उत्तरदाताओं द्वारा परिभाषित किया गया है

पर्चा।

" अनुच्छेद 505-चीजें और अधिकार कब्जे के आधार पर अर्जित किए जाते हैं, जैसे दायित्वों को तथ्य द्वारा समाप्त किया जाता है।

उनकी पूर्ति की माँग न करना। कानून बताता है

शर्तों और समय की अवधि, जो एक के लिए आवश्यक है,

और दूसरे के लिए भी। इसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है।

एकमात्र परिच्छेदः चीज़ों या अधिकारों का अधिग्रहण

अधिकार को सकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है; उनकी पूर्ति की मांग नहीं करने के कारण दायित्वों का निर्वहन है

नकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है।

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा अनुच्छेद 535 पर भी भरोसा किया जाता है। वही इस प्रकार हैः

अनुच्छेद 535-जिसने भी किसी दायित्व में खर्च किया है, या दूसरे के लिए कुछ करने के लिए, दायित्व से मुक्त हो जाता है, अगर उसके प्रदर्शन की मांग 20 साल की अवधि के लिए नहीं की जाती है, और अनिवार्य अच्छी भावना में है, प्रिस्क्रिप्शन अवधि के अंत में, या जब प्रदर्शन की मांग 30 साल की अवधि के लिए नहीं की जाती है, भले ही अच्छे विश्वास या बुरे विश्वास की परवाह किए बिना।

जहाँ कानून में विशेष प्रिस्क्रिप्शन प्रदान किए जाते हैं।

एकमात्र परिच्छेदः नकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन के मामले में अच्छे विश्वास में दायित्व की अज्ञानता शामिल है। इस अज्ञानता को उन व्यक्तियों के मामले में नहीं माना जाना चाहिए जिन्होंने मूल रूप से अनुबंध किया था

दायित्व।

"[2019] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. सिंडिकेट बैंक बनाम प्रभा डी. नाइक 2001 (4) एस. सी. सी. 713 में तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को पुर्तगालियों पर विचार करने का अवसर मिला।

जुलाई 1978। उत्तरदाता दिसंबर, 1978 तक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। वचन पत्र और काल्पनिक विलेख के निष्पादन पर ऋण दिया गया था। 1985 में मुकदमा दायर किए जाने के कारण बार ऑफ लिमिटेशन की याचिका दायर की गई थी। इसके बाद अपीलार्थी ने अनुच्छेद 535 पर भरोसा किया, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। अपीलार्थी बैंक द्वारा यह तर्क दिया गया था कि गोवा में सीमा कानून को पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत कानून के रूप में माना जाना था। इसलिए, भारतीय सीमा अधिनियम की अनुसूची I के तहत निर्धारित सीमा की अवधि लागू नहीं होगी। यह न्यायालय गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 की धारा 5 का उल्लेख किया गया है, जिसमें इससे पहले लागू कानूनों को जारी रखने पर विचार किया गया था।

गोवा, दमन और दीव या उसके किसी भाग में किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक नियत दिन। पैरा 13,14 और 16 को संदर्भित करना प्रासंगिक है, जो नीचे दिया गया है:

" 13. यह सच है कि गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 की धारा 5 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली नागरिक संहिता जारी रही। कि संघ में मौजूदा कानून जारी रहेंगे

किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक क्षेत्र।

हम 1962 के विनियम 12 पर भी ध्यान दे सकते हैं जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं -

अनुसूची में उल्लिखित कुछ कानूनों का विस्तार

विनियमन, मतलब के लिए: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और इसे केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव में 1-12-1965 से लागू किया गया था। गोवा, दमन और दीव में (कानून) (संख्या 2) विनियम, 1963 (1963 का विनियम 11), विनियम 12 में निहित प्रावधानों के समान प्रावधान पाए जाते हैं जिनके तहत

भारतीय अनुबंध अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम और माल का हस्तांतरण

केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति अधिनियम क्रमशः 1-11-1965 और 1-12-1965 से लागू किया गया था। इस प्रकार स्थिति सामने आती है यहाँ पहले देखे गए दो नियमों को ध्यान में रखते हुए

(विनियम 11 और विनियम 12) कि दोनों परक्राम्य

लिखत अधिनियम और अनुबंध अधिनियम को कुछ अन्य कानूनों के साथ उपयुक्त विधायी प्राधिकरण द्वारा राज्य में लागू किया गया है। इसमें प्रत्यर्थी 1 द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र और इसकी गारंटी जारी करने वाला गारंटर अभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v को छोड़ नहीं सकता है।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

परक्राम्य के अर्थ के भीतर विषय कहा जाए

उपकरण अधिनियम। किसी भी घटना में, और स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक आधार पर, परिकल्पना का एक विलेख भी मौजूद था जो नहीं कर सकता है।

लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम के अर्थ के भीतर एक अनुबंध कहा जाए जो गोवा राज्य में लागू होता है,

दमन और दीव। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि क्या विशिष्ट विधानों में वे विषय शामिल हैं जिनके तहत कार्रवाई का कारण है।

उत्पन्न हुआ था, यह मानते हुए क्षेत्र या प्रक्रियात्मक कानून को नियंत्रित करेगा कि शासन के प्रतिस्थापन में इसका उचित अनुप्रयोग होगा कानून। हालाँकि, इसमें एक व्यापक बहस शामिल है और इस पीठ को इसका जवाब देने के लिए नहीं बुलाया गया है, क्योंकि हम इसके संबंध में कोई भी राय व्यक्त करने से खुद को रोकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों को विनियमों के संदर्भ में शामिल किया गया है।

ऊपर और इस तरह, गोवा, दमन और दीव राज्य में लागू किया गया है।

14.यह ध्यान दिया जाए कि अनुच्छेद 535 में पुर्तगाली सिविल में अनुबंधों को विनियमित करने वाले अध्याय III में सीमा के प्रावधान हैं।

संहिता, जिसे हालांकि भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अनुबंध अधिनियम के तहत एक ही अध्याय में होने वाले अनुबंधों से संबंधित सीमा के लिए निर्धारित अवधि को अनुबंध के अन्य प्रावधानों के साथ जाने के बजाय एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में जीवित नहीं कहा जा सकता है। अनुबंध अधिनियम का अनुकूलन प्रतिस्थापित किया गया है। अतः इसे एक निहित निरसन नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक अध्याय III का संबंध है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुकूलन के तथ्य के कारण एक स्पष्ट निरसन की आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई थी। या तो

अध्याय अपनी संपूर्णता में जीवित रहता है या यह अपने सभी क्षेत्रों में नष्ट हो जाता है-यह अनुबंध से संबंधित एक अध्याय है और इसके प्रवर्तन की अवधि निर्धारित करता है, कोई विच्छेदन संभव नहीं है।

16. सिविल कोड के अनुच्छेद 505 में वस्तुओं के अधिग्रहण का प्रावधान है।

और अधिकार द्वारा अधिकार और उसी को सकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन और न होने के कारण दायित्वों का निर्वहन माना जाता है

उनकी पूर्ति की माँग को नकारात्मक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। "प्रिस्क्रिप्शन" शब्द सामान्य रूप से उस समय के दौरान निरंतर उपयोगकर्ता, अधिकार और आनंद द्वारा अवास्तविक वंशावली के लिए शीर्षक प्राप्त करने का एक तरीका है। अनुच्छेद 535 एक नकारात्मक [2019] 14 एस. सी. आर. निर्धारित करता है।

प्रिस्क्रिप्शन प्रतिकूल कब्जे के दौरान अमूर्त अधिकारों से संबंधित है यह संपत्ति के स्वामित्व में ब्याज पर लागू होता है। प्रिस्क्रिप्शन "आमतौर पर होता है

अपरिवर्तनीय वंशानुगत और नकारात्मक के अधिग्रहण पर लागू किया गया

बाद वाला अर्थात। सीमा, एक उपाय को रोकता है, संक्षेप में, पर्चे है एक अधिकार प्रदान किया गया है, सीमा एक उपाय के लिए एक बाधा है। का दूसरा अध्याय

पुर्तगाली सिविल कोड संबंधित विस्तृत लेख प्रदान करता है पर्चा। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम। 72 शब्द का वर्णन करें

" प्रिस्क्रिप्शन "निम्नानुसारः

" कानून में प्रिस्क्रिप्शन दो प्रकार का होता हैः यह या तो एक साधन है

संपत्ति का अधिग्रहण या केवल छूट का साधन

न्यायिक प्रक्रिया की दासता से। पहले अर्थ में, संबंध के रूप में

संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, पर्चे को प्रतिकूल माना जाता है

अधिकार। दूसरे अर्थ में, से छूट के संबंध में

न्यायिक प्रक्रिया की दासता, प्रिस्क्रिप्शन को सीमा माना जाता है

क्रियाओं की स्थिति "।

(जोर दिया गया)

47. न्यायालय ने यह विचार रखने के लिए आगे बढ़े कि

भारतीय कानून अर्थात् अनुबंध अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम की प्रयोज्यता, पुर्तगाली कानून के तहत उपचार के विलुप्त होने को अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त नहीं माना जा सकता है। यह आगे कहा गया कि "अनुच्छेद 535 के तथ्य को एक प्रक्रियात्मक पहलू होने और एक मूल अधिकार नहीं होने के कारण, न्यायालय निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्थिति पर विचार नहीं कर रहा था, लेकिन मूल और प्रक्रियात्मक कानून के बीच अंतर का यहां एक सार्थक अस्तित्व है।

न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पहले लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी

जस्टिनियानो ऑगस्टो डी पाइडेड बैरेटो बनाम। एंटोनियो विसेंटा दा फोंसेका और अन्य 1979 (3) एस. सी. सी. 47 जैसा कि निर्धारित किया गया है। जैसा कि तथ्यों से देखा जा सकता है कि ऋण का लेन-देन वर्ष 1978 में अनुबंध अधिनियम और परक्राम्य लिखत अधिनियम के गोवा में लागू होने के बाद हुआ था।

प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

इस मामले में उत्तरदाताओं ने यह तर्क देने के लिए अनुच्छेद 505 और 535 पर भरोसा किया कि अनुच्छेद के आधार पर गोन्स का अधिकार समाप्त कर दिया गया था।

505 और 535। तर्क निम्नलिखित आधार पर है। गोन्स को सूरियाजी और अन्य के पक्ष में निष्पादित दिनांकित 17.11.1915 बिक्री विलेख में हस्तांतरणकर्ता के रूप में नहीं देखा गया था। इसके चार साल बाद, निपटान विलेख के रूप में शैलीबद्ध दस्तावेज़ 27.1.1919 पर निष्पादित किया जाने लगा। यह पूरी तरह से उसी खंड पर आधारित है कि पूरा मुकदमा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया है। खंड इस प्रकार है:

" ..... इसके अलावा प्रथम भाग के पक्षकार सुरियाजी ने कहा कि 17 तारीख को उपरोक्त बिक्री विलेख द्वारा उनके द्वारा की गई खरीद

नवंबर, 1915, अपने लिए बनाया गया था और प्रथम भाग के उक्त पक्ष के लिए गोन्स ने अपने भाई को, और यह कि उसने उक्त खरीद की आधी कीमत का भुगतान कर दिया है, इसलिए, वह उक्त शांतिबाई के साथ उपरोक्त विलेख द्वारा उनके नाम पर खरीदी गई आधी संपत्ति को किसी भी समय हस्तांतरित करने का वचन देता है और इस अवसर पर

इस हस्तांतरण के लिए उक्त गोन्स को उसे आधी राशि के साथ क्षतिपूर्ति करनी होगी जो अब पक्ष को भुगतान की गई है।

दूसरा भाग लोकक्सिमी अपनी पत्नी के दहेज के पैसे से।

48. इसलिए, यह तर्क है कि सुरियाजी अनुच्छेद 535 के साथ पठित अनुच्छेद 505 के अर्थ के भीतर एक दायित्व के तहत आए थे,

में खंड के तहत विचार के अनुसार गोन्स के पक्ष में हस्तांतरण

1963 के सीमा अधिनियम से पहले के क्षेत्र को 1.4.1964 के प्रभाव से लागू किया गया था, नकारात्मक पर्चे ने संपत्ति में किसी भी गोन्स के जो भी अधिकार थे, उन्हें समाप्त कर दिया। 49. सिंडीकेट बैंक बनाम प्रभा डी. नाइक (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को लागू करने के लिए हमें तुरंत अपीलार्थी के अनुरोध पर विचार करना चाहिए। यदि अनुच्छेद 505 और 535 पर आधारित तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह पाया जाएगा कि सुरियाजी के संबंध में दायित्व समाप्त हो जाएगा। अपीलार्थियों द्वारा सिंडीकेट बैंक (उपरोक्त) में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह स्पष्ट रूप से अलग है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला, जैसा कि देखा गया है, लेनदेन वर्ष 1978 में किया गया था। एक वचन पत्र जो एक परक्राम्य साधन है, निष्पादित किया गया। जिस समय इसे निष्पादित किया जाता है, उस समय देनदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान के लिए अनुबंध, अनुबंध अधिनियम और परक्राम्य अधिनियम गोवा, दमन और दीव राज्य में लागू किए गए थे। इसने न्यायालय के इस निष्कर्ष के लिए मौलिक आधार बनाया कि पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुच्छेद 535 के तहत उपलब्ध सीमा की विस्तारित अवधि अब उपलब्ध नहीं होगी। उक्त मामले में तथ्य स्थिति के विपरीत, हमें इस मामले में यह घोषणा करने के लिए कहा जाता है कि क्या दायित्व के तहत दायित्व और परिणामी अधिकार का उन्मूलन हुआ था। उस समय जब पुर्तगाली सिविल कोड एकमात्र कानून था जो लागू होता है, अपीलार्थी ने 1919 के दस्तावेज़ पर भरोसा किया। यदि मामले को इस आधार पर सुलझाया जाना है कि सूर्याजी कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य थे जो निश्चित रूप से संपत्ति को हस्तांतरित कर रहा है दायित्व 30 वर्षों की समाप्ति पर नवीनतम रूप से समाप्त हो जाएगा, अर्थात् 21.01.1949 पर और 21.01.1939 द्वारा जल्द से जल्द। यदि यह स्थिति है तो जब 1963 का सीमा अधिनियम 01.04.1964 पर और पूर्ववर्ती कानून के तहत लागू हुआ, अर्थात। , पुर्तगाली सिविल कोड, सुरियाजी और चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी अनुच्छेद 535 के तहत निहित नकारात्मक पर्चे के तहत दायित्व से मुक्त थे, फिर अनुच्छेद 505 और 535 अपीलार्थियों के लिए घातक होंगे।

लेकिन अनुच्छेद 537 का क्या प्रभाव है? . अपीलार्थियों के अनुसार दिनांक 21.1.1919 के निपटान विलेख में इस्तेमाल किया गया शब्द 'किसी भी समय' है। इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 537 आकर्षित हुआ। अनुच्छेद 537 अनुच्छेद 535 एक अपवाद है जो अपीलार्थियों के तर्क को चलाता है। अनुच्छेद 537 इस प्रकार हैः

अनुच्छेद 537-गैर हस्तांतरणीय अधिकारों से जुड़े दायित्व या जो समय सीमा के अधीन नहीं हैं, वे पर्चे को आकर्षित नहीं करते हैं।

जब कोई समय सीमा पुर्तगाली कानून के तहत दायित्व को आकर्षित नहीं करती है, तो इसे किसी भी समय लागू किया जा सकता है। 50. अपीलार्थियों द्वारा स्थापित किए जाने की मांग किए गए शीर्षक से संबंधित प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है।

अपीलार्थियों का पूरा मामला वादी अनुसूची संपत्ति में अधिकार पर आधारित है, जो उस अधिकार पर आधारित है जिसे गोन्स ने बिक्री के तहत प्राप्त किया था।

दिनांकित विलेख 17.1.1915। दिनांक 17.1.1915 के बिक्री विलेख के तहत, 1/4 वां शेयर प्रभाकर ने प्रभु नावेलकर (डी) v.

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

हस्तांतरणकर्ता। हालाँकि इसके 4 साल बाद विघटन विलेख के रूप में शैलीबद्ध 21.1.1919 दिनांकित दस्तावेज़ को निष्पादित किया जाता है जिसमें विवादास्पद खंड होता है जिसे हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। 51. उत्तरदाताओं के अनुसार निम्नलिखित व्याख्या उसी पर रखी जानी चाहिए। निपटान के लिए एक दस्तावेज़ निष्पादित किया गया था

नवलकर परिवार की विटोल और वेंक्टेक्सा शाखाओं के बीच सामाजिक संबंध के विवरण। विवादास्पद खंड (पैरा 47 देखें) को तोड़ते हुए, यह उत्तरदाताओं का तर्क है कि यह सुरियाजी ही थे जिन्होंने वास्तव में विचाराधीन संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान किया था। इस संबंध में 'वह/उसका और स्वयं' अभिव्यक्तियों पर निर्भरता रखी गई है। रेखांकित भाग में 'वह' शब्द के उपयोग को छोड़कर यह उनका मामला है कि 'वह, उसका और स्वयं' शब्दों का उपयोग सूर्याजी को संदर्भित करने के लिए किया गया है। यह केवल वह शब्द है जिसे रेखांकित किया गया है जिसका उपयोग गोन्स को संदर्भित करने के लिए किया गया है। मामला यह है कि दस्तावेज़ पुर्तगाली में तैयार किए गए थे और वहाँ

अनुवाद में स्पष्टता की कमी थी। यह आगे तर्क दिया जाता है कि जब संपत्ति खरीदी गई थी तब गोन्स नाबालिग थे और उन्होंने 1925 में ही कमाई शुरू की थी, जिसे पीडब्लू1 द्वारा स्वीकार किया जाता है जब उन्होंने कहा कि गोन्स 1919 में पुबर्टो थे और उन्होंने 1925 के बाद कमाई शुरू की थी। उनका एक निश्चित मामला है कि गोवा में 19 दिसंबर, 1961 तक प्रचलित नागरिक कानून प्रणाली, जब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, न्यायसंगत अधिकार को मान्यता नहीं देती थी और जब तक हस्तांतरण का एक उचित दस्तावेज निष्पादित नहीं किया जाता था, तब तक गोन्स ऐसा नहीं कर सकते थे कोई भी शीर्षक प्राप्त करें। यह उनका आगे का मामला है कि 21.1.1919 दिनांकित विलेख बिक्री के समझौते की प्रकृति में सबसे अच्छा था। बेचने का ऐसा वादा सिविल कोड के अनुच्छेद 1548 द्वारा नियंत्रित होता है। सिविल का अनुच्छेद 1548

कोड इस प्रकार हैः

" अनुच्छेद 1548: खरीद और बिक्री का एक सरल पारस्परिक वादा, कीमत के विनिर्देश और विवरण के साथ

बात एक तथ्य को पूरा करने के लिए केवल एक समझौते का गठन करती है, जो अनुबंध की सामान्य शर्तों द्वारा शासित होगी, इस अंतर के साथ कि जहां बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, यानी कोई भी राशि।

वचन विक्रेता द्वारा प्राप्त, उसी या उसके [2019] 14 एस. सी. आर. का ज़ब्त।

दोगुने में क्षतिपूर्ति नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति होगी और

नुकसान होता है। एकमात्र परिच्छेदः अचल संपत्तियों के मामले में अनुबंध लिखित रूप में किया जाना चाहिए और यदि प्रमुख वचनदाता विक्रेता की पत्नी की सहमति के बिना किया जाता है, तो बाद वाला क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नुकसान और नुकसान के लिए खरीदार का वादा।

यह उत्तरदाताओं का निवेदन है। निम्नलिखित गवाही

डब्ल्यू. 1 प्रासंगिक हो सकता हैः

" ..... अब मैं कहता हूं कि हस्तांतरण समझौते का उक्त समझौता गोन्स द्वारा विकल्प के प्रयोग के आधार पर सशर्त था। यह सच है कि Exh.F का समझौता, अर्थात् उक्त विलेख, के नाम पर पंजीकरण को हस्तांतरित करने के लिए एक सशर्त समझौता है

गोन्स बाय सूर्याजी ने कहा। .... ”

" ..... 1919 से 1978 तक की पूरी 60 वर्षों की अवधि के दौरान उक्त गोन्स ने कभी भी संपत्ति का पंजीकरण कराने या संपत्ति को उनके नाम पर हस्तांतरित करने का प्रयास नहीं किया।

..... सूर्य की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उत्तराधिकारियों को नहीं सौंपा गया था

गोन्स का। "99 " मुझे यह भी नहीं पता कि संपत्ति के पंजीकरण को प्रभावी बनाने के लिए गोन्स को सूर्याजी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा था। ”

52. उत्तरदाता आगे तर्क देंगे कि अनुच्छेद 1519 के संदर्भ में बिक्री विलेख को लिखित में कम किया जाना चाहिए और यदि मूल्य छूट से अधिक है तो इसे अनुच्छेद 949 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थियों का तर्क है कि शीर्षक के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष गलत है और इसे कायम नहीं रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पाया हैः

" मान लीजिए, दिनांकित 21.1.1919 विलेख में शेयर के भुगतान या अधिकार के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यह दस्तावेज़ यह भी निर्दिष्ट नहीं करता है कि गोन्स द्वारा इसके तहत किया जाने वाला पूर्व भुगतान किया जाना चाहिए, या यह कि ऐसा भुगतान एक शर्त पूर्ववर्ती है।

प्रत्यर्थियों ने आगे तर्क दिया कि संहिता के अनुच्छेद 949 के तहत, कुछ दस्तावेज जहां अचल संपत्ति में अधिकार दिए गए थे, उन्हें पंजीकृत किया जाना चाहिए। इनमें अचल संपत्ति का हस्तांतरण बिना किसी खर्च के, भारी मात्रा में और संपत्तियों का सभी हस्तांतरण या प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v शामिल थे।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

भौतिक अचल संपत्ति और केवल अधिकार ऐसे कार्य थे जो अनुच्छेद 949 के तहत पंजीकरण के अधीन थे। अनुच्छेद 960 पर भी भरोसा किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि पंजीकरण रिकॉर्ड को भी बनाए रखा जाना है।

जिसके पक्ष में प्रसारण किया जाता है। यह नीचे लिखा हैः

" अनुच्छेद 960: क्रम संख्या और वर्ष की तारीख, महीने और दिन के अलावा विवरण के साथ शिलालेख के उद्धरण और स्वामित्व विलेख की तारीख जिसमें पंजीकरण के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है, में शामिल होंगेः

पैराग्राफ 1; XXX

अनुच्छेद 2: नाम, स्थिति, पेशा और अधिवासः

1. XXX

2. उस व्यक्ति का जिसके पक्ष में संचरण किया जाता है

अचल संपत्तियों के संचरण के मामले "

यह उनका मामला है कि इस तरह का प्रसारण केवल सूरियाजी और लक्ष्मी के पक्ष में दिनांकित बिक्री विलेख 17.11.1915 के तहत किया गया था।

प्रतिवादियों का विरोध करना। यह उनका मामला है कि प्रति-आपत्ति के बिना यह प्रतिवादियों के लिए खुला नहीं होगा कि वे इस न्यायालय से स्वामित्व के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कहें। इस संबंध में उन्होंने हरदेविंदर सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। परमजीत सिंह 2013 (9) एससीसी 261। अपीलकर्ताओं का तर्क होगा कि गोन्स ने दिनांकित 17.11.1915 की खरीद के लिए आधी कीमत का भुगतान किया, जिसे भी दिनांकित 21.1.1919 के विघटन विलेख में स्वीकार किया गया था। सूरियाजी द्वारा भुगतान की गई दहेज राशि के आधे हिस्से के रूप में जब भी वह Rs.1000/- का भुगतान करते हैं तो गोन के हिस्से को हस्तांतरित करने का एक गंभीर वचन होता है। 14.4.1925 पर सूर्याजी द्वारा दिया गया उपहार दिनांकित बिक्री विलेख के तहत गोन्स के अधिकारों को नहीं छीनता है। 17.11.1915 जैसा कि दिनांक 21.1.1919 के विघटन विलेख में स्वीकार किया गया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष का संदर्भ दिया जाता है कि गोन्स ने सूट संपत्ति की खरीद के लिए Rs.13022/- में से खरीद मूल्य का आधा भुगतान किया है। इसलिए, Rs.1000/- की राशि खरीद मूल्य से अधिक थी और परिणामस्वरूप Rs.1000/- के गैर-भुगतान का गोन्स के शीर्षक पर कोई असर नहीं पड़ा जो उसने खरीद से प्राप्त किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54. इससे पहले कि हम प्रश्न पर विचार करें, यह दर्ज करना आवश्यक है

शीर्षक के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वास्तविक निष्कर्ष। उच्च न्यायालय ने पाया कि गोन्स के हिस्से की मान्यता दिनांकित 21.1.1919 दस्तावेज़ में की गई है। यह आगे निम्नानुसार पाया जाता हैः

" 31. मान लीजिए, दिनांकित 21.1.1919 विलेख में शेयर के भुगतान या अधिकार के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस दस्तावेज़ में यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि गोनेश द्वारा इसके तहत पूर्व भुगतान किया जाना चाहिए, या यह कि ऐसा भुगतान एक पूर्व शर्त है। इस प्रकार, उसमें वर्णित संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए दायित्व की स्वीकृति पूर्ण और स्पष्ट है। इस दस्तावेज़ में संपत्तियों पर गोनेश के अधिकार के अस्तित्व की स्वीकृति के बारे में एक स्पष्ट पाठ है।

इस प्रकार, गोनेश का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार स्पष्ट है, और उसने कानून में और कानून के अनुसार लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त किया है।

हम पहले ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 22 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख कर चुके हैं। एक में अपील यदि प्रत्यर्थी निचली अदालत की डिक्री में कोई बदलाव नहीं चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बिना किसी बदलाव के पहले से ही पारित डिक्री का समर्थन करने के लिए अपील या प्रति आपत्ति दायर करे।

लेकिन निर्णय में निष्कर्षों की शुद्धता को चुनौती देकर। अपीलकर्ताओं का यह तर्क सही है कि यदि किसी प्रत्यर्थी द्वारा किसी डिक्री को चुनौती दी जाती है तो अनिवार्य रूप से प्रत्यर्थी को या तो अपील या प्रति-आपत्ति दायर करनी चाहिए। हालाँकि, इस मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे को पहली अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष की गई दो अपीलें थीं -

बर्खास्त कर दिया। नतीजतन, मुकदमे को खारिज करने वाले पहले अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि हुई। इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी डिक्री को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। वे आदेश में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। वे आदेश की पुष्टि चाहते हैं। वे इस फरमान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। डिक्री वह है जो मुकदमे को खारिज करती है। वे केवल एक निष्कर्ष को चुनौती देकर उक्त आदेश का समर्थन करना चाहते हैं। अर्थात् शीर्षक से संबंधित निष्कर्ष। ऐसा करने के लिए, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे एक अपील या प्रति-आपत्ति दायर करें क्योंकि उनके पास निष्कर्ष है

शीर्षक के संबंध में पलट दिया गया वे किसी भी तरह से एक अलग डिक्री पारित करने की मांग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि

अपीलकर्ताओं का कहना है कि प्रतिवेदियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे प्रति आक्षेप दायर किए बिना शीर्षक पर निष्कर्ष का विरोध करें।

अकार गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम। शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

शीर्षक से संबंधित न्याय. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को इस प्रकार निकाला जा सकता हैः

सूरियाजी ने स्वीकार किया है कि 'एम' का आठवां हिस्सा और 'बी' का 1/4 हिस्सा उन्होंने गोन्स के लिए खरीदा था और गोन्स को भुगतान करना था।

उसका योगदान, जैसा कि उसमें दर्शाया गया है।

इस वादे के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है या

विलेख में घोषणा।

मान लीजिए कि शेयर के भुगतान के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है या

दिनांकित 21.1.1919 विलेख में अधिकार का प्रयोग।

दस्तावेज़ में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व भुगतान गोन्स द्वारा किया जाना चाहिए या भुगतान एक पूर्व शर्त है।

संपत्ति के साथ भाग लेने के दायित्व की स्वीकृति पूरी तरह से है

असंदिग्ध और दस्तावेज़ में एक अस्पष्टता है गोन्स के अधिकार के अस्तित्व की स्वीकृति के बारे में पाठ

संपत्ति के लिए।

अंत में यह पाया जाता है कि गोन्स का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, इस प्रकार, स्पष्ट है और उसने कानून में और कानून के अनुसार लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त किया है।

. आइए हम यह भी देखें कि उच्च न्यायालय कैसे पाता है कि अपीलार्थी

राहत के लिए शीर्षक।

गोन्स इन्वेंट्री कार्यवाही में एक वोगल थे। उक्त कार्यवाही में संपत्ति 'एम' और 'बी' की विधवा को आबंटित किया गया था

सुरियाजी, अर्थात। , शांतिबाई। यदि गोन्स को विलेख के तहत अपने अधिकार को लागू करना है, तो उन्हें 21.01.1919 दिनांकित दस्तावेज़ को देखते हुए शेयर के आवंटन पर आपत्ति जतानी पड़ी। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। घटना 1925 से संबंधित है जो शांतिबाई को अधिकार मिलने पर अंतिम रूप ले लेती है।

सूची कार्यवाहियों में जिन्हें पंजीकृत किया गया था

1940 के आसपास के अभिलेख।

इन्वेंट्री में शेयर के आवंटन को चुनौती नहीं दी गई थी

1925 और 1940 के बीच या अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी समय सूट के माध्यम से गोन्स। अदालत अपीलार्थियों के मामले को स्वीकार नहीं करती है कि हालांकि परिवार का अलगाव और विभाजन

था, पक्षकारों ने संयुक्त रूप से आनंद लेना जारी रखा और आय का हिस्सा शुरू में गोन्स और फिर [2019] 14 एस. सी. आर. की पत्नी को दिया गया।

गोन्स। सूर्याजी की पत्नी को हिस्से के आवंटन के साथ सहमत होने के बाद, हालांकि उनकी संपत्ति लक्ष्मीबाई (यह शांतिबाई होनी चाहिए) को नहीं दी जा सकती थी, गोन्स और उनके उत्तराधिकारियों को लंबे समय के बाद उत्तराधिकार खोलने से रोक दिया जाता है।

दो दशक से अधिक।

: ई यह वादी का मामला नहीं है कि 1940 में शांतिबाई के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए यह पाया गया है कि गोन्स के पास जो भी अधिकार या ब्याज बचा था, वह खो गया था, जैसा कि उन्होंने किसी भी समय शांताबाई की संपत्ति के आवंटन को चुनौती दी थी।

चुनौती की कमी के लिए अंतिम हो जाता है।

शांतिबाई और उनके नाम पर संपत्ति दर्ज करने के बाद

iv.

उत्तराधिकारियों ने वादी को छोड़कर और खुलकर प्रतिवादियों का समर्थन करते हुए संपत्ति का आनंद लिया। गोन्स के अधिकार से इनकार या उनके बहिष्कार और पर्याप्त इनकार 1925 से संबंधित है और यह 1940 में निरपेक्षता से समाप्त हो गया है। विभाजन द्वारा या अन्यथा अलग अधिकार रखने का गोन्स का अधिकार यदि वह चाहता था

1940 में हाल ही में उत्पन्न हुए निपटान विलेख के आधार पर इसका दावा करें। चूंकि उन्होंने विभाजन की मांग करने के अपने अधिकार को लागू नहीं किया और 1919 के निपटान विलेख के तहत अधिकार को लागू करना खो दिया।

57. हमने उच्च न्यायालय द्वारा दो व्यापक निष्कर्ष निर्धारित किए हैं। पहला इस सवाल से संबंधित है कि क्या गोन्स ने कोई अधिकार प्राप्त किया था। द.

दूसरा भाग इस बात से संबंधित है कि क्या उसने अधिकार खो दिया है। उच्च न्यायालय ने

पता चलता है कि गोन्स के पास वास्तव में एक अधिकार था लेकिन उन्होंने इसे खो दिया है और इस अधिकार को 1940 तक लागू किया जाना चाहिए था। पहले भाग पर आते हुए कि क्या गोन्स का कोई अधिकार था, सबसे महत्वपूर्ण भाग यह पता लगाना है कि सुरियाजी ने स्वीकार किया कि 'एम' का 1/8 और

1/4 'बी' को उन्होंने गोन्स के लिए खरीदा था।

58. अपीलार्थियों का मामला ऐसा प्रतीत होता है कि जब मूल्य का एक तिहाई हिस्सा गोन्स द्वारा इसमें निहित पावती के संदर्भ में भुगतान किया गया था। 1919 के दस्तावेज़ में, जो कुछ भी भुगतान किया जाना बाकी था, वह सूर्यजी द्वारा लक्ष्मी को दहेज के लिए राशि का भुगतान करने के लिए 1000 रुपये था। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि बिक्री विलेख में गोन्स को हस्तांतरणकर्ता के रूप में नहीं दिखाया गया है।

21.1.2019 दिनांकित दस्तावेज़ को एक विलेख के रूप में वर्णित किया गया है

घोषणा, खातों की शेष राशि का निर्धारण, भुगतान और दायित्व।

प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

पहले भाग की पार्टियों को सूरियाजी और उनकी पत्नी शांतिबाई के रूप में वर्णित किया गया है जिनकी आयु 15 वर्ष और नाबालिग की आयु 16 वर्ष है। गोन्स को 14 साल की उम्र में उसकी माँ द्वारा सहायता के रूप में दिखाया गया है। दूसरे भाग के दलों को लक्ष्मी, वितोल की विधवा (दूसरे पक्ष) और उनके बेटों आदि के रूप में वर्णित किया गया है। विलेख प्रदान करता प्रतीत होता है

संयुक्त परिवार के वितरण और परिवार के खातों के निपटान के लिए जो केवल 3 साल तक चला। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि पहले भाग के पक्षकारों का दूसरे भाग के पक्षकारों के लिए एक राशि बकाया है -

Rs.2000/-। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि प्रथम भाग के पक्षकारों ने कहा कि प्रथम भाग के पक्षकारों ने कहा कि उनके द्वारा की गई खरीद उनके लिए और प्रथम भाग के पक्षकार, उनके भाई, गोन्स के लिए की गई थी और उन्होंने उक्त खरीद की आधी कीमत का भुगतान किया है, इसलिए वे उक्त शांतिबाई के साथ उक्त गोन्स के नाम पर खरीदी गई आधी संपत्ति को किसी भी समय हस्तांतरित करने का वचन देते हैं, ताकि वे इसे हस्तांतरित कर सकें और इस हस्तांतरण के अवसर पर उक्त गोन्स को उस राशि का आधा हिस्सा देना होगा जो अब दूसरे भाग के पक्षकार लक्ष्मी को दिए गए धन से हस्तांतरित किया गया है। यह उपरोक्त प्रावधान है जो विवाद के केंद्र में है। हमें इसके वास्तविक दायरे और महत्व को उजागर करना है। चाहे यह सूरियाजी द्वारा स्वीकार किया गया हो या स्वीकार किया गया हो कि गोनेशी के छोटे भाई का उस संपत्ति पर आधा अधिकार था जिसे सूरियाजी ने दिनांकित बिक्री विलेख के तहत अर्जित किया था। 17.11.1915 ? क्या दूसरी ओर, दस्तावेज़ निष्पादन प्रकृति का है और सुरियाजी द्वारा गोन्स के पक्ष में स्थानांतरण निष्पादित करने पर विचार कर रहा है? क्या इसने केवल उत्परिवर्तन के हस्तांतरण पर विचार किया, शीर्षक को स्वीकार किया जा रहा है? क्या खंड में एक हस्तांतरण पर विचार किया गया था जिसके अवसर पर गोन्स को सूर्याजी को क्षतिपूर्ति करनी थी, आधी राशि जो लक्ष्मी को दी गई थी वह पैसा सूर्याजी की पत्नी के दहेज से आया था?

59. इस संबंध में पहली बात जिस पर हमें विचार करना है, वह उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया तर्क है कि 'उन्होंने' शब्दों ने आधे के लिए भुगतान किया है।

उक्त खरीद की कीमत को इस रूप में समझा जाना चाहिए कि सूरियाजी ने उक्त खरीद की आधी कीमत का भुगतान किया है और इसका मतलब है कि सूरियाजी बिक्री विलेख के तहत पूर्ण मालिक थे और गोन्स ने ऐसा कोई अधिकार हासिल नहीं किया था। यह इस प्रस्तुति द्वारा पूरक है कि गोन्स

1915 में वह नाबालिग थी। उन्होंने 1925 में ही कमाई शुरू की और इसलिए, इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि उन्होंने बिक्री के लिए प्रतिफल के किसी भी हिस्से का भुगतान किया था। दिनांकित 17.11.1915। दूसरी ओर, यह अपीलार्थियों का मामला है कि प्रतिफल का आधा हिस्सा गोन्स द्वारा भुगतान किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

60. इस विवाद को हल करने में, यह उचित है कि हम पक्षों की दलीलों का समर्थन करें। हम पैरा 11 का उल्लेख कर सकते हैं

टी. वही नीचे पढ़ा गया हैः

" 11. यह 21.1.1919 के उक्त विलेख में है कि सूरिया उर्फ सुरियाजी पोरोबो ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दिनांकित 17.11.1915 विलेख के तहत की गई संपत्ति मोलान और संपत्ति के आधे हिस्से की खरीद अपने लिए और अपने भाई गोन्स के लिए थी जिन्होंने खरीद के समय इसकी कीमत का भुगतान किया था और इसलिए सूरिया

और उनकी पत्नी शांतिबाई ने स्थानांतरण को प्रभावी बनाने का बीड़ा उठाया

सोसायटी के विघटन के समय किए गए खातों के निपटारे के परिणामस्वरूप सोरिया द्वारा लोक्सिमी (विटोल पोरोबो की विधवा) को भुगतान की गई राशि के आधे हिस्से के भुगतान में सोरिया पर गोन्स के नाम पर गोन्स द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है। प्रतिपूर्ति करने के लिए गोन्स द्वारा विकल्प का प्रयोग करने की अवधि हालाँकि यह असीमित था। "

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता-प्रतिवादी 1,2,30 और उनके मामले में 31

अन्य बातों के साथ बयान में कहा गया हैः

" वर्ष 1919 में, नवलकरों का अविभाजित संयुक्त परिवार भंग हो गया और दिनांक 21.01.1919 के विघटन और निपटान के विलेख में, एक उल्लेख है कि उक्त सूर्य ने संपत्तियों को खरीदा था, यानी 'बैंगुइनिम' का आधा और 'मोलान' का एक चौथाई और

अपने भाई गणेश की ओर से भी और उक्त दो संपत्तियों का एक हिस्सा उक्त गणेश के पक्ष में हस्तांतरित करने पर सहमत हुए थे।

बशर्ते कि उक्त गणेश उसे रु। 1000 / - होने के नाते

उसकी ओर से भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति

गणेश से लक्ष्मीबाई। हालाँकि, यह रिकॉर्ड में नहीं है कि उक्त गणेश ने कभी रुपये की उक्त राशि का भुगतान किया था। 1000 / - उक्त सूर्य को, जो उक्त दो संपत्तियों में अविभाजित हिस्से के हस्तांतरण के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त थी, उक्त गणेश के पक्ष में और यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त राशि के भुगतान की अवधि असीमित थी।

अभियोग के पैरा 11 में अभिकथन का उत्तर 25 में निहित है और यह इस प्रकार हैः

" 25. अभियोग के पैरा 11 की सामग्री को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ये प्रतिवादी इस बात से इनकार करते हैं कि द्वारा विकल्प के प्रयोग की अवधि

गणेश का प्रतिपूर्ति करना असीमित था जैसा कि आरोप लगाया गया था। उक्त विलेख दिनांक 21.1.1919 प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. में उल्लिखित पावती।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

उक्त सूर्य द्वारा और सशर्त और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सूर्य ने दिनांकित 14.04.1925 का एक उपहार विलेख बनाकर उक्त पावती का प्रदर्शन किया, जो इस तथ्य के अलावा उक्त स्वीकृति के अनुसार था कि दिनांकित 14.4.1925 का उक्त उपहार विलेख भी प्रकट होता है।

अस्पष्ट दस्तावेज होने के लिए, उसे उक्त सूर्य की मृत्यु से थोड़ा पहले निष्पादित किया गया था, जिससे इसके बारे में पता चलता है

उसी बिंदु पर प्रामाणिकता एक स्वैच्छिक कार्य है। यह बहुत संभव है कि उक्त सूर्य और उनकी विधवा को उक्त उपहार विलेख दिनांकित 14.4.1925 बनाने के लिए मजबूर किया गया था, जो उन्हें उक्त सूर्य द्वारा व्यक्त की गई स्वीकृति की याद दिलाता है।

विघटन विलेख दिनांक 21.1.1919 "।

प्रतिवादियों 3,4,5 और 6 द्वारा दायर लिखित बयान में भी, वाद के पैरा 11 में निहित अभिकथन का जवाब इसमें निहित है - लिखित कथन और उसी के पैरा 7 को नीचे निकाला गया हैः

" मुकदमे के पैरा 11 के आगे के संदर्भ में इन प्रतिवादियों का कहना है कि सूर्याजी और गणेश दोनों के बाद के आचरण से पता चलता है कि गणेश के नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण का विचार। सूरियाजी द्वारा दिनांक 1 दिनांकित विलेख द्वारा खरीदा गया, छोड़ दिया गया और परिणामस्वरूप उक्त गणेश ने कभी भी अपने पक्ष में हस्तांतरण करने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की और न ही उन्होंने शांतिबाई के दहेज के संबंध में कोई राशि का भुगतान किया, और न ही इसमें किसी हस्तांतरण का उल्लेख किया गया है।

उक्त विलेख दिनांकित 21-1-1919 प्रभावी था। इन प्रतिवादियों का कहना है कि स्थानांतरण के संबंध में सूरियाजी का उक्त बयान था

न तो सूर्याजी ने और न ही गणेश ने कभी इस पर कार्रवाई की। उक्त विलेख दिनांक आई. डी. 1 में दिया गया उक्त बयान पुर्तगाली सिविल कोड के अनुच्छेद 1548 के संदर्भ में सूरियाजी की ओर से बिक्री के लिए एक साधारण वादे के बराबर होना चाहिए, और उक्त गणेश को सूट संपत्तियों के संबंध में कोई अधिकार या ब्याज प्रदान नहीं करेगा।

61. इस बात से कोई इनकार नहीं है कि गोन्स ने प्रतिफल का भुगतान किया है। हम सोचेंगे कि यह एक सुरक्षित निष्कर्ष होगा कि कम से कम गोन्स की ओर से आंशिक रूप से भुगतान किया गया था। उत्तरदाताओं का मामला कि दिनांकित 17.11.1915 बिक्री विलेख के संबंध में गोन्स से या उसकी ओर से भेजे गए विचार का कोई भी हिस्सा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

हमने जो दृष्टिकोण लिया है वह बिक्री विलेख 21.1.1919 में तुरंत आने वाले शब्दों से सुदृढ़ीकरण पाता है। यह तुरंत [2019] 14 एस. सी. आर. कहा गया है।

यह कहने के बाद कि उन्होंने उक्त खरीद के लिए आधी कीमत का भुगतान कर दिया है, इसलिए उन्होंने उक्त शांतिबाई के साथ मिलकर गोन्स को, उनके नाम पर खरीदी गई आधी संपत्ति आदि को हस्तांतरित करने का बीड़ा उठाया है। इस संबंध में उनकी पत्नी शांतिबाई के साथ संयोजन शब्द केवल सूरियाजी को संदर्भित कर सकता है। इसलिए, व्याख्या इस प्रकार होगीः

17.11.1915 दिनांकित बिक्री विलेख 1/4th के संबंध में निष्पादित किया गया था।

सूरियाजी के पक्ष में संपत्ति 'एम' और संपत्ति 'बी' का आधा हिस्सा। संपत्ति 'एम' का एक चौथाई और संपत्ति 'बी' का आधा हिस्सा लक्ष्मी बाई द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दूसरी शाखा को बिक्री विलेख के तहत बेचा गया था। यह स्पष्ट है कि अपने हिस्से के लिए बिक्री विलेख के तहत, गोन्स ने भुगतान का हिस्सा बनाया होगा। विघटन विलेख में जो स्वीकार किया गया है वह यह है कि आधा

गोन्स से उत्पन्न उक्त विचार का।

62. अगला भाग वह है जहाँ मामला और अधिक पेचीदा हो जाता है। सवाल यह है कि उस अधिकार, यदि कोई हो, की प्रकृति क्या है, जो गोन्स द्वारा दिनांकित दस्तावेज़ में दर्ज वचन के आधार पर अर्जित किया गया है कि सुरियाजी और उनकी पत्नी शांतिबाई किसी भी समय उनके नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का आधा हिस्सा गोन्स के नाम पर स्थानांतरित कर देंगे और आगे यह कि हस्तांतरण के अवसर पर गोन्स को दूसरे भाग के पक्ष को भुगतान की गई आधी राशि के साथ क्षतिपूर्ति करनी होगी, अर्थात् लक्ष्मी बाई जो नवलकर परिवार की दूसरी शाखा का प्रतिनिधित्व करती थीं। गोन्स के नाम पर हस्तांतरित करने का वचन, संपत्ति का आधा हिस्सा इसके अनुसार है अपीलार्थी केवल उत्परिवर्तन का हस्तांतरण करते हैं। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के अनुसार इसमें पंजीकरण के साथ एक स्थानांतरण शामिल था। उसी के साथ, आगे का सवाल इन शब्दों के अर्थ का है कि "उक्त अवसर पर" यानी जब हस्तांतरण किया जाता है तो गोन्स को सुरियाजी को आधी राशि के साथ क्षतिपूर्ति करनी होगी जो लक्ष्मी को सुरियाजी की पत्नी की दहेज राशि में से दी गई थी। हम इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकते कि 1919 में Rs.1000/- की राशि एक बड़ी राशि थी। इसे Rs.1000/- के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि आज सूट की तारीख बहुत कम है। यह एक खाली औपचारिकता नहीं थी। हम उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जब यह

यह मानता है कि यह एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं है। भुगतान हस्तांतरण के साथ मेल खाने वाला था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्थानांतरण की मांग करने से पहले किया जा सकता था। हम खंड को अर्थ के रूप में नहीं समझ सकते हैं क्योंकि या तो इसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है या भुगतान को स्थगित किया जा सकता है।

63. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, आइए विचार करें कि क्या ऐसा कोई मामला है कि गोन्स ने सुरियाजी को उनके जीवनकाल के दौरान Rs.1000/- की पेशकश की थी और प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

उत्परिवर्तन या अधिकार के हस्तांतरण को अस्वीकार कर दिया गया था। हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। बिल्कुल भी मामला। जब अपीलकर्ता केवल दिनांकित विघटन विलेख में पाठ के आधार पर अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो हम यह देखने में विफल रहते हैं कि स्थानांतरण की मांग करने की शर्त का पालन करते समय उनके द्वारा यह कैसे बनाए रखा जा सकता है कि वे बिना किसी और चीज़ के हकदार हैं।

सह-मालिकों के रूप में अधिकार। वास्तव में, ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने सूर्याजी के हित में उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान या पेशकश की हो। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पीडब्लू 1 इस हद तक बयान देता है कि 'सुरियाजी को प्रतिपूर्ति करने का दायित्व गोन्स के उत्तराधिकारियों को नहीं सौंपा गया था'। इस प्रकार मुकदमा न तो गोन्स के पास दायर किया जाता है और न ही अपीलकर्ताओं के पास 1919 के विलेख में उल्लिखित राशि का भुगतान करने या भुगतान करने की पेशकश करने के लिए।

64. हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखेंगे। शिकायत में, पैरा '9' में, जो कहा गया है वह वर्ष 1915 में है, पीरू और उनके पति ने संपत्ति को समान रूप से 17.11.1915 दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा बेच दिया।

भाग सूरियाजी और लक्ष्मी के लिए। इसके बाद, पैरा '11' में, सूरियाजी ने दिनांकित 21.01.1919 विलेख में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दिनांकित 17.11.1915 के बिक्री विलेख के तहत की गई "M" के एक चौथाई और "B" के एक चौथाई की खरीद, यह उनके और उनके छोटे भाई के लिए था और जिन्होंने खरीद के समय इसकी कीमत का भुगतान किया था और इसलिए, पंजीकरण को स्थानांतरित करने का काम शुरू किया गया था, जब सुरियाजी को गोन्स द्वारा आधे के भुगतान में प्रतिपूर्ति की गई थी।

यह स्वीकार किया जाता है कि बिक्री विलेख सुरियाजी के पक्ष में है। यह लगभग

ध्यान दिया। लेन-देन के बेनामी लेन-देन होने के बारे में शिकायत में कोई दलील नहीं है। यदि पुर्तगाली शासन के तहत गोवा में बेनामी को मान्यता दी गई थी तो यह कहा जा सकता है कि गोन्स मालिक बन जाएंगे बशर्ते लेनदेन को बेनामी लेनदेन के रूप में माना जाए। लेकिन बेनामी लगाने का कोई मामला नहीं है। इस संबंध में हम संपत्ति शुल्क नियंत्रक, लखनऊ बनाम में निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैं। आकाशवाणी 1981 एस. सी. 102 में आलोक मित्राः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. .....पेथेपेरुमल चेट्टी बनाम। मुनियांडीसरवई (1908) 35 इंड ऐप 98, न्यायिक समिति ने निम्नलिखित अनुमोदन के साथ उद्धृत कियाः

मेन के हिंदू कानून, 7 वें संस्करण से मार्ग। , पैरा 446: " जहां एक बार लेनदेन को केवल बेनामी बताया जाता है, यह स्पष्ट है कि बेनामीदार शीर्षक से पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसका नाम केवल लाभकारी व्यक्ति के लिए एक उपनाम है।

रुचि रखते हैं। " अंग्रेजी कानून के लिए जाने जाने वाले ट्रस्टी और बेनामी डार्ली के बीच मुख्य अंतर इस तथ्य में है कि एक ट्रस्टी कानूनी मालिक है।

उसके नाम पर खड़ी संपत्ति और ट्रस्ट का केवल एक लाभकारी मालिक है, जबकि बेनामी लेनदेन के मामले में असली मालिक को कानूनी अधिकार मिल गया है, हालांकि संपत्ति बेनामीदार के नाम पर है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वास्तविक मालिक बाद वाले के संदर्भ के बिना संपत्ति का सौदा कर सकता है। गुर नारायण बनाम। शिव लाल सिंह, 46 इंड ऐप 1: (ए. आई. आर. 1918 पी. सी. 140), न्यायिक समिति ने सर जॉर्ज के फैसले को संदर्भित किया।

फारवेल, बिलास कुंवर बनाम। दसराज रंजीत सिंह 42 इंड ऐप 202 : (ए. आई. आर. 1915 पी. सी. 96), जहाँ यह देखा गया कि एक बेनामी लेनदेन अंग्रेजी कानून के सिद्धांत के साथ एक जिज्ञासु समानता थी कि कानूनी संपत्ति का विश्वास उस व्यक्ति को होता है जो भुगतान करता है।

खरीद-पैसा, और आगे कहाः " ..... बेनामीदार का उस संपत्ति या व्यवसाय में कोई लाभकारी हित नहीं है जो उसके नाम पर है; वह वास्तव में, वास्तविक मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, और जहां तक उनकी सापेक्ष कानूनी स्थिति का संबंध है, वह उसके लिए केवल एक ट्रस्टी है। ”

गुरन डिट्टा बनाम। राम डिट्टा, 55 इंड ऐप 235: (ए. आई. आर. 1928 पी. सी. 172) न्यायिक समिति ने गोपिक्रिस्ट गोसैन मामले (1854) 6 मू इंड ऐप 53 (पी. सी.) में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया और कहा कि बेनामी लेनदेन के मामले में, खरीद प्रदान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में एक परिणामी विश्वास है-धन। पैरा '33' का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो इस प्रकार है

डब्ल्यूएसः -

" 33. कानून को मेयने ने अपने हिंदू कानून पर ग्रंथ, 11 वीं संस्करण में संक्षिप्त रूप से कहा है। , पी पर। 953 , निम्नलिखित शब्दों मेंः

" एक बेनामी लेन-देन वह है जहां कोई दूसरे के नाम पर संपत्ति खरीदता है या अपनी संपत्ति को दूसरे को मुफ्त में हस्तांतरित करता है, प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v.

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

दूसरे को लाभ पहुँचाने के इरादे का संकेत दिए बिना। इसलिए, बेनामीदार का उस संपत्ति या व्यवसाय में कोई लाभकारी हित नहीं है जो उसके नाम पर है; वह वास्तव में वास्तविक मालिक का प्रतिनिधित्व करता है और जहां तक उनकी सापेक्ष कानूनी स्थिति का संबंध है, वह उसके लिए केवल एक ट्रस्टी है। दूसरे शब्दों में, बेनामी खरीद या परिवहन
जिस तरह इसी तरह की परिस्थितियों में खरीदारी या हस्तांतरण से इंग्लैंड में विश्वास पैदा होता है, उसी तरह भारत में भी विश्वास पैदा होता है।

भारतीय कानून का सामान्य नियम और सिद्धांत जिसके परिणामस्वरूप न्यास अलग होते हैं लेकिन अंग्रेजी कानून के सामान्य नियम से बहुत कम।

उसी विषय पर "।

65. इस प्रकार, एक खरीद जिसे बेनामी बनाया जाता है, इसके परिणामस्वरूप एक

भरोसा रखें।

गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन बना रहा और यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। उत्तरदाताओं के लिए एक निश्चित मामला है कि विश्वास का कानून, इस तरह, नागरिक कानून देशों में लागू नहीं होता था और पुर्तगाली जो नागरिक कानून द्वारा शासित थे, विश्वास के कानून को मान्यता नहीं देते थे।

66. संयोग से हम पाते हैं कि डेनिस स्विंग ग्रीन की ईबुक संख्या 32 ट्रस्ट, फाउंडेशन और फिड्यूशियरी स्ट्रक्चर्स में हम संयोग से देख सकते हैं।

भाग 2 में सूचनाः पुर्तगाल एंड ट्रस्ट्स हेड IV के तहत। पुर्तगाली कानून के तहत न्यास, वही निम्नानुसार हैः

" एक अनुबंध के रूप में न्यास
मदीरा मुक्त व्यापार क्षेत्र के अपवाद के साथ (जहां ट्रस्टों को दूसरे के कानूनों के तहत बनाए जाने पर मान्यता दी जाती है)

अधिकार क्षेत्र), पुर्तगाली कानून औपचारिक रूप से एक न्यास में निहित प्रत्ययी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है जिसके तहत अधिकारों को न्यासियों के हाथों में कानूनी अधिकार और लाभार्थियों के साथ न्यायसंगत अधिकारों के बीच विभाजित किया जाता है। कानूनी मान्यता की यह कमी बढ़ जाती है

उनके कर और कानूनी व्यवहार के बारे में कई सवाल।

पुर्तगाली कानून एक न्यास को एक अनुबंध के रूप में देखता है। न्यासों से जुड़े सभी लेन-देन न्यासियों के साथ किए गए माने जाते हैं-न्यास की संपत्ति के कानूनी मालिकों के साथ-न कि हकदार के साथ।

न्यास की शर्तों के तहत लाभार्थी। लाभकारी हित पुर्तगाली कानून के तहत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं है।

67. पुर्तगाली शासन के तहत गोवा में विश्वास का कानून लागू नहीं होता था। कम से कम अपीलार्थियों के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि यह लागू हुआ।

उन्होंने यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है कि यह लागू हुआ है। अगर ट्रस्ट

अधिनियम, जो निस्संदेह, 1915 में या 1919 में भी गोवा पर लागू नहीं हुआ था और इसकी धारा 82 में बेनामी या परिणामी न्यास का सिद्धांत निहित था, अपीलार्थी कैसे दावा कर सकता है कि 1919 के दस्तावेज़ के साथ पढ़े गए 1915 के दस्तावेज़ के तहत गोन्स मालिक के रूप में हकदार बन गए। यदि इसे प्रकृति में निष्पादक अनुबंध तक कम कर दिया गया था, तो एक दायित्व का पालन करने के लिए जिस पर केवल शीर्षक निहित होगा, यह पूर्ववर्ती शर्त के अधीन था।

रुपये का भुगतान। 1000 / - गोन्स द्वारा। यहां तक कि अपीलार्थी के रुपये का भुगतान करने के दायित्व के अनुसार भी। 1000 / - , उन्हें पास नहीं किया। यह आचरण

अपीलार्थी, 1919 के दस्तावेज़ के तहत अधिकार प्राप्त करने की मांग में, भले ही उनके पूर्ववर्ती अपने पूरे जीवन काल के दौरान अपने दायित्व का पालन करने में जानबूझकर या अन्यथा विफल रहे हों, उन्हें अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। 68. कानून में, गोन्स सह-मालिक होने का दावा कैसे कर सकते हैं? उसे पहले मालिक बनना होगा। न्यास अधिनियम की धारा 82 ने मान्यता दी कि जब

व्यक्ति ने संपत्ति को दूसरे को हस्तांतरण के लिए हस्तांतरित किया, जिसका भुगतान किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है तो उक्त व्यक्ति लाभकारी स्वामी होगा। हस्तांतरणकर्ता या बेनामीदार के नाम पर संपत्ति उस व्यक्ति के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी जिसने वास्तव में प्रतिफल प्रदान किया है। हम दोहराते हैं कि अपीलार्थी द्वारा कभी भी स्थापित बेनामी के आधार पर कोई मामला नहीं है।

इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 1915 के बिक्री विलेख और 1919 के निपटान विलेख से यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं हो सकता है कि गोन्स ने वादी अनुसूची संपत्ति में इस तरह का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसके आलोक में, हमें प्रतिकूल कब्जे के संबंध में कोई निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है या

निष्कासन।

69. यह ध्यान देने योग्य है कि विघटन विलेख दिनांक 21.1.1919 के बाद, वर्ष 1925 में सुरियाजी द्वारा उपहार विलेख के निष्पादन के रूप में एक और विकास हुआ। प्रतिवादियों ने उपहार विलेख के बारे में जो मामला स्थापित किया था, उसमें वह आरोप शामिल है जो उपहार विलेख के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियों पर सवाल उठाता है। उनके पास यह भी मामला है कि उपहार विलेख को निष्पादित किया गया था

दिनांकित 21.1.1919 के विघटन विलेख में स्वीकृति। उपहार के तहत 1925 के विलेख में सुरियाजी ने गोन्स को संपत्ति 'एम' में अपना 1⁄4 अधिकार उपहार में दिया है जिसे प्रभाकर ने प्रभु नवलकर (डी) बनाम को दिया है।

उसने वर्ष में अपने दादा द्वारा निष्पादित उपहार विलेख के तहत अर्जित किया 1913. यह याद रखें कि 1913 में, दादा ने गोन्स के पक्ष में संपत्ति 'एम' का एक और 1⁄4 उपहार भी दिया था। संपत्ति 'एम' में लगभग 90 हेक्टेयर शामिल था। इस प्रकार, दोनों उपहार विलेखों के तहत वर्ष 1925 में कुल संपत्ति 'एम' या लगभग 45 हेक्टेयर का आधा हिस्सा गोन्स के पास निहित हो गया। इस उपहार के बाद वर्ष 1925 में सुरियाजी का निधन हो गया। इसके बाद पुर्तगाली सिविल कोड के तहत सुरियाजी की संपत्तियों के संबंध में इन्वेंट्री कार्यवाही हुई। पुर्तगाली सिविल कोड के तहत गोन्स स्पष्ट रूप से सूरियाजी के नाबालिग बच्चों की ओर से खड़े थे। दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह स्थापित करने के लिए पाया गया है कि संपत्ति 'एम' का 1⁄4 और संपत्ति 'बी' का 1⁄2 हिस्सा सुरियाजी की विधवा शांतिबाई के नाम पर आवंटित किया गया था। यह उस शिलालेख से स्पष्ट होता है जिसका हमने वर्ष 1937 में उल्लेख किया है। यह यहाँ है कि प्रश्न उन निष्कर्षों की शुद्धता के रूप में उत्पन्न होता है जिन्होंने इन्वेंट्री कार्यवाही में भाग लिया था जो

शांतिबाई को संपत्ति आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप, गोन्स के अधिकार समाप्त हो गए।

70. हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि विघटन विलेख के खंड की व्याख्या हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि गोन्स ने आधा भुगतान किया है। उपक्रम द्वारा जिस खरीद मूल्य पर विचार किया गया था, वह यह था कि सूर्याजी और उनकी पत्नी शांतिबाई को उत्परिवर्तन को स्थानांतरित करना था। गोन्स ने संपत्ति में अधिकार हासिल कर लिया। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि Rs.1000/- का भुगतान एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं थी जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया था। सवाल यह है कि क्या शांतिबाई को आवंटित की जा रही संपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं होने के आधार पर उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों में सही है। हम इस संबंध में पहले अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष पहले ही निकाल चुके हैं। हम इस मोड़ पर इन आधार पर तर्कों पर विचार कर सकते हैं -

सूरियाजी की मृत्यु पर इन्वेंट्री कार्यवाही आयोजित की गई।

आविष्कार प्रक्रियाएँ

71. अपीलार्थियों के अनुसार, सूची कार्यवाही मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन द्वारा विरासत से उत्पन्न होती है। इसे विभाजन विलेख के रूप में माना जाता है और पंजीकरण अधिनियम की धारा 45 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है लेकिन यह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत पंजीकृत नहीं है। इन्वेंट्री कार्यवाही के आधार पर मामले को साबित करने का बोझ पूरी तरह से प्रतिवादियों पर था जो वे करने में विफल रहे हैं।

निर्वहन। 1925 में या समय और समय की सटीक तारीख का कोई विवरण नहीं है।

वह स्थान जहाँ कार्यवाही हुई थी, कभी स्थापित किया गया है। प्रतिवादियों द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्वेंट्री कार्यवाही स्वयं का उत्पादन नहीं होता है। प्रतिवादियों का गवाह साक्ष्य की तारीख को 36 वर्ष का था और इसलिए 1925 में जीवित नहीं था। प्रतिवादी संख्या 5 जो उस समय जीवित था जब कथित इन्वेंट्री कार्यवाही हुई थी

यह माना गया कि कार्यवाही घोषणा की प्रकृति में थी मृतक की संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार। घोषणा एक की तरह है

रेम में निर्णय और इसलिए, गोन्स के लिए दिए गए समय पर आपत्ति करना और भी अधिक आवश्यक था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विरासत के उद्घाटन पर अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 2064 के तहत इन्वेंटरी कार्यवाही अपरिहार्य है। विवाह के आधार पर, सम्प्रीति का सिद्धांत लागू होता है और शांतिबाई सुरियाजी की सभी संपत्तियों के 50 प्रतिशत की मालिक थीं और विरासत शेष 50 प्रतिशत से संबंधित थी। परिवार परिषद नाबालिगों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है और इसका गठन अनुच्छेद 207 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 218 किसी भी सदस्य को प्रतिबंधित करता है

मतदान या सहायता से परिवार परिषद जहां हितों का टकराव है। इस प्रकार, यदि गोन्स ने कभी भी बिक्री विलेख के तहत सुरियाजी द्वारा खरीदी गई आधी संपत्तियों पर स्वामित्व रखने पर विचार किया होता, तो इसमें हितों का टकराव शामिल होता।

किसी तीसरे पक्ष के पास संपत्ति का अधिकार होने की स्थिति में। अनुच्छेद 2078,

241999 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 109 पैरा 8-11 252000 (7) एस. सी. सी. 702 प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

ऐसी संपत्तियों की सूची अलग से प्रदान करता है और यह निम्नानुसार हैः

" अनुच्छेद 2078-जहाँ विरासत में कुछ संपत्तियाँ हैं

किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित या जो किसी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होता है अधिमान्य तरीके से, उन्हें अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा, साथ ही

संबंधित दस्तावेज।

एकमात्र परिच्छेदः किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्तियों को कुछ संदेह होने पर उसे नहीं दिया जाएगा, जब तक कि

कहा कि तीसरा व्यक्ति अपना अधिकार साबित करता है।

गोन्स ने कभी भी चुपचाप खड़े होकर संपत्ति की अनुमति नहीं दी होगी।

यह तर्क दिया जाता है कि उसे सूरियाजी की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था और उसने संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति के रूप में अलग से सूचीबद्ध करने का दावा किया होगा। 73. दिलबू पर भरोसा (श्रीमती) (मृत) एलआरएस द्वारा। और अन्य वी। धनराजी (श्रीमती) (मृत) और अन्य 25, यह तर्क दिया जाता है कि जहां एक है

पंजीकरण, ज्ञान माना जाता है और सीमा उक्त तिथि से चलती है। गोन्स ने 1937 में शिलालेख पर आपत्ति जताई होगी। उन्होंने सार्वजनिक नीलामी में बेचे गए आधे से अधिक मोलान खो दिए। सिविल कोड के अनुच्छेद 2126 के उप-विभाजन V के तहत प्रदान की गई संपत्तियों का मूल्यांकन अनुज्ञप्ति और विभाजन के लिए किया जाना चाहिए।

74. मेजर और नाबालिगों के बीच इन्वेंट्री के मामले में एक मूल्यांकन होगा जो उस समय हुआ था जब सूर्याजी की मृत्यु हो गई थी। मूल्यांकनकर्ता

परिवार परिषद द्वारा अनुच्छेद 2091 के तहत नियुक्त किया जाता है [जिसमें गोन्स एक सदस्य थे]।

75. दामोदर रामनाथ अल्वे बनाम। गोकुलदास रामनाथ अल्वे और अन्य, अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए जाने पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय, पणजी के विद्वान न्यायाधीश ने नोट किया कि इन्वेंट्री कार्यवाही में कोई डिक्री पारित नहीं की गई है जैसा कि एक मुकदमे में है। ज़कारियास में ड्यूरेट डोमिंगोस परेरा बनाम। केमिलो इनासियो परेरा 2 7, न्यायमूर्ति एम. डी. कामथ ने इन्वेंट्री कार्यवाही की प्रकृति के बारे में यह कहा थाः

" इन्वेंटरियो कार्यवाहियाँ इसके लिए शुरू की गई कार्यवाहियाँ हैं

मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन। वे प्रदान करते हैं मृतक की परिसंपत्तियों की सूची तैयार करना, ऋणों का भुगतान करना, संपत्ति के ऋणों का संग्रह करना, विरासतों का भुगतान करना,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तरल परिसंपत्तियों आदि का वितरण भारतीय संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुकदमों के लिए ये विभिन्न कदम नहीं उठाए जा सकते हैं।

विक्टर डी ग्रेका पिंटो और ओआरएस वी। लॉर्डेस डी ग्रेका पिंटो और नाज़रेथ और ऑर्स। 2 8, अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए जाने पर, पणजी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने इन्वेंट्री कार्यवाही में एक डिक्री के संदर्भ में निर्णय दिया कि चूंकि इसने न केवल पक्षों के अधिकारों की घोषणा की थी, बल्कि शेयरों को भी विभाजित किया था, इसलिए इसे पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (2) के तहत पंजीकृत किया जाना था। विद्वान न्यायाधीश ने आगे बढ़ते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के पंजीकरण के बाद डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है।

शीला रोड्रिग्स और एक अन्य वी। लौरेंसिंहा एना डीक्रूज रोड्रिग्स फर्नांडीस 29 ने उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया, यह तर्क दिया गया कि इन्वेंट्री कार्यवाही सूट नहीं थी। दीवानी अदालत अधिनियम की धारा 22 ने संदर्भ प्रदान किया। ज़कारियास ड्यूरेट डोरनिंगोस परेरा बनाम का उल्लेख करने के बाद। कैमिलो इनासियो एवरिस्टो परेरा 3 0, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इन्वेंट्री कार्यवाही मुकदमा नहीं है, यह पाया गया कि उक्त निर्णय में चर्चा यह पता लगाने के लिए थी कि क्या इन्वेंट्री कार्यवाही में एक आदेश को संहिता के आदेश XXI के तहत निष्पादित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया का या नहीं। अंत में, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 11. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में कानून के तहत उपलब्ध उपचार को लागू करने के लिए इन्वेंट्री कार्यवाही शुरू की जाती है। किसी पक्ष या पक्षों के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर विरासत के दावे को लागू करने के लिए, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पक्ष या पक्षों के दावे को कानूनी मान्यता होना आवश्यक है और इसे न्यायालय में उचित सूची कार्यवाही शुरू करके प्राप्त किया जा सकता है। 12. अतः उपरोक्त से जो निकलता है, वह यह है कि सूची कार्यवाही सिविल न्यायालय अधिनियम की धारा 22 के उद्देश्य के लिए "वाद" हैं और इसलिए आदेश के खिलाफ अपील

इन्वेंटरी कार्यवाही जहाँ परिसंपत्तियों का मूल्य रुपये से अधिक हो। 1,00,000 / - उच्च न्यायालय से झूठ बोलेगा। इसलिए विचार के लिए बिंदु का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

281999 (3) ए. एल. एल. एम. आर. 39 29 (1999) एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 109 30 एयर 1984 बम 295 प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) बनाम।

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

त्याग और स्थापना

गोन्स और उनके उत्तराधिकारियों को लगभग दो दशकों के बाद उत्तराधिकार के उद्घाटन से वंचित कर दिया जाता है। यह आगे पाया गया है कि जो भी अधिकार और ब्याज हो सकता है गोन्स के साथ बचे हुए लोग खो गए थे क्योंकि उन्होंने शांतिबाई को संपत्ति के आवंटन को चुनौती नहीं दी थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने सहमति, अवरोध और अधिकार के नुकसान के सिद्धांत को लागू किया है।

77. शा मूलचंद और Co.Ltd में। वी. जवाहर मिल्स लिमिटेड, सलेम ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 98,500 शेयर जो कंपनी के नाम पर थे, जब्त कर लिए गए। जिन तर्कों को लिया गया था उनमें से एक सिद्धांतों पर था

रोक और ज़ब्त को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुख्य निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति एस. आर. दास ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

महान्यायवादी का तर्क है कि काफी बल के बिना, निचली अदालत के साथ सहमति में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस मामले में सहमति, छूट या बहिष्कार की कोई याचिका स्थापित नहीं की गई थी, अपील अदालत को मिल्स को मामला उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। कंपनी द्वारा अधिकार के परित्याग का प्रश्न, क्योंकि कंपनी के आवेदन के विरोध में या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के मिल्स के आधार पर मिल्स के हलफनामे में परित्याग की ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा, अपील अदालत ने मिल्स को कंपनी द्वारा अधिकार के परित्याग की याचिका को छूट, सहमति और बहिष्कार की याचिकाओं से अलग बनाने की अनुमति दी और इस नई याचिका के लिए प्रेंडरगास्ट बनाम के प्रसिद्ध मामलों से समर्थन प्राप्त करने की मांग की। टर्टन [1 Y और CCC 111: 62 ई. आर. 807], क्लार्क और चैपमैन बनाम। हार्ट [2 एचएलसी 632: 10 ई. आर. 1443] और जोन्स बनाम। उत्तरी वैंकूवर भूमि और

सुधार कंपनी [एलआर 1910 एसी 317]।

इसके अलावा, जो भी केवल छूट, सहमति का प्रभाव हो या

एक निष्पादन अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायसंगत उपचार के अपने दावे पर किसी व्यक्ति की ओर से यह स्पष्ट है कि केवल छूट, सहमति या बाधाएं जो उसके अधिकार का परित्याग या उसके खिलाफ रोक नहीं है, उस व्यक्ति को राहत का दावा करने से वंचित नहीं कर सकती हैं।

उसके निष्पादित हित के संबंध में समता, न कि केवल निष्पादक हित के संबंध में। क्लार्क मामले में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अनुसार देखें [2 एच. एल. सी. 632: 10 ई. आर. 1443] पी. 657. वास्तव में, यह गार्डन गली यूनाइटेड क्वार्ट्ज माइनिंग कंपनी बनाम में आयोजित किया गया है। ह्यूग मैकलिस्टर [एलआर 1 एसी 39] ने कहा कि

केवल लाचेस शेयरों के धारक को जब्त करने की अमान्य घोषणा के खिलाफ न्यायसंगत राहत के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है। सर बार्न्स पीकूक ने प्रिवी काउंसिल का निर्णय देते हुए पीपी में अवलोकन किया। 56-67 इस प्रकार हैः

उसके शेयरों का, या उसमें उसके हित का परित्याग, या उसे यह कहने से रोकें कि वह इसके मालिक बने रहे उन्हें। 30 मई, 1869 के विज्ञापन के बाद उनके आचरण के संबंध में इस तरह के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए निश्चित रूप से कोई सबूत नहीं है। इस मामले में, जैसा कि प्रेन्डरगैस्ट वी। टर्टन [1 Y और CCC 111: 62 ई. आर. 807] वादी के हित को निष्पादित किया गया था। दूसरे शब्दों में, उनका अपने शेयरों में कानूनी हित था और उनमें रुचि पैदा करने के लिए उन्हें विश्वास की घोषणा या इक्विटी अदालत की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, केवल लाचे उन्हें न्यायसंगत राहत के लिए अयोग्य नहीं ठहराएंगेः क्लार्क और चैपमैन बनाम। हार्ट [2 एचएलसी 632: 10 ईआर 1443]। यह परित्याग के आधार पर था, न कि केवल लाचों के आधार पर, कि प्रेन्डरगास्ट v। टर्टन [1 Y और CCC 111: 62 ई. आर. 807] तय किया गया था।

इस प्रकार दो बातें स्पष्ट हैं, अर्थात् (1) अधिकार का परित्याग केवल छूट, स्वीकृति या बाधा से कहीं अधिक है और यदि स्वयं को रोक नहीं है तो यह रोक लगाने के समान है, और (2) केवल छूट, स्वीकृति या बाधा जो अधिकार या बाधा के परित्याग से कम है, उन शेयरों के धारक को, जिनके शेयरों में निहित हित हैं, उन शेयरों की कथित जब्त की वैधता को चुनौती देने से वंचित नहीं करता है।

अभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपने सहमति वाले फैसले में न्यायमूर्ति विवियन बोस ने आगे कहा कि

विंग दृश्यः

" 21.स्थिति अलग होती है जब ब्याज निष्पादित किया जाता है और

व्यक्ति का अधिकार में निहित हित होता है, अर्थात, जब वह उन शेयरों का कानूनी मालिक होता है, जिसमें वे रहते हैं।

उसे। इस कानूनी अधिकार को केवल कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में ही नष्ट किया जा सकता है।

तरीके। यह मेरे विचार में मौलिक है कि संपत्ति का कानूनी अधिकार, चाहे वह चल हो या अचल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। दूसरा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीकों को छोड़कर, और आम तौर पर कुछ मान्यता प्राप्त रूपों के पालन द्वारा। स्वयं को वर्तमान मामले तक सीमित रखते हुए, शेयरों के स्वामित्व को पारित करने के तरीकों में से एक है ज़ब्त करना; लेकिन उस मामले में एक सटीक प्रक्रिया का पालन करना होगा। दूसरा तरीका हस्तांतरण है जो आयात समझौता करता है। वहाँ फिर से प्रक्रिया का एक नियमित रूप है जिससे गुजरना पड़ता है। एक तिहाई एस्टोपेल द्वारा होता है, हालांकि, जब स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, तो यह पाया जाएगा कि यह एस्टोपेल नहीं है जो परिवर्तन लाता है। अभिव्यक्ति परित्याग, छूट

और आगे, जब वर्तमान जैसे मामले में उपयोग किया जाता है, तो केवल पर्यायवाची शब्द होते हैं। विरोध के लिए और इसके विपरीत पवित्र उपयोग के बावजूद, मैं पसंद करता हूँ

एक कुदाल को कुदाल कहना और मामले को उसके उचित कानूनी कबूतर छेद में डालना और उसे उसके उचित कानूनी नाम से बुलाना। ये अन्य शब्द, मेरे विचार में, शिथिल और गलत हैं और वर्तमान प्रकृति के मामलों में लागू होने पर भ्रमित होने की प्रवृत्ति रखते हैं।

एक व्यक्ति जिसका निहित स्वार्थ है और जिसमें कानूनी शीर्षक निहित है

केवल लाठियों से, या केवल खड़े होकर या यह कहकर भी कि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है, उस उपाधि को नहीं खोता है, और न ही खो सकता है, जब तक कि कुछ और न हो, अर्थात् अपने शब्दों या आचरण से किसी अन्य पक्ष को उस कथन की सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना और उस पर अपने नुकसान के लिए कार्य करना, अर्थात, जब तक कि कोई अवरोध, शुद्ध और सरल न हो। यह केवल ऐसे मामले में है कि अधिकार को त्याग या छूट से खोया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह परित्याग या छूट नहीं है जो उसे अपनी उपाधि से वंचित करता है।

लेकिन रोक-टोक जो उसे यह दावा करने से रोकता है कि शेयरों में उसका हित कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात, जो

उसे यह दावा करने से रोकता है कि कानूनी रूप जो कानून में हैं

उसकी रुचि को समाप्त करें और शीर्षक पास करें

जो उस में दूसरे के लिए निवास करते हैं, उनका विधिवत पालन नहीं किया गया। "[2019] 14 एस. सी. आर.

78. हम लाभप्रद रूप से अरन सिंह बनाम में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य और एक अन्य 2004 (5) एस. सी. सी. 698:

" 19. डिवीजन बेंच ने विवादित फैसले में, जैसा कि पहले देखा गया है, यह माना है कि "या तो अधिकार का त्याग किया गया था या स्वेच्छा से छूट दी गई थी"। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए तथ्यों की जांच करने से पहले, अवरोध, परित्याग और छूट के पहलुओं पर कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है। एस्टोपेल पर प्रमुख मामला

यह पिकार्ड वी का है। सियर्स [(1837) 6 एड और एल 469: 112 ई. आर. 179] जिसमें लॉर्ड डेनमैन, सी. जे. ने निर्णय देते हुए, अन्य बातों के साथ कहाः

(ई. आर पी. 181)

" उनकी उपाधि एक बार स्थापित हो जाने के बाद, संपत्ति को केवल उपहार या बिक्री द्वारा विभाजित किया जा सकता था, जिसमें से कोई विशिष्ट अधिनियम भी नहीं था।

अनुमान लगाया।

लेकिन कानून का शासन स्पष्ट है, कि, जहां एक अपने शब्दों या आचरण से जानबूझकर दूसरे को एक निश्चित राज्य के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है चीजों के बारे में, और उसे उस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वह अपनी पिछली स्थिति को बदल सके, पहले वाले को बाद वाले के खिलाफ चीजों की एक अलग स्थिति के रूप में प्रस्तुत करने से निष्कर्ष निकाला जाता है जो उसी समय मौजूद है।

समय; (एस्टोपेल, pp.606,607 पर बिगेलो देखें।)

20. मित्र सेन सिंह बनाम। जानकीकुआर [ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 212: 51 आई. ए. 326] (ए. आई. आर. पी. 214) बहिष्कार के संबंध में, यह कहा गया थाः

" भारत के कानून में इंग्लैंड के कानून से अलग कोई विशिष्टता नहीं है जो इस तरह के आवेदन को उचित ठहराए। भारत का कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधिनियम 1 की धारा 115 में समग्र रूप से निर्धारित किया गया है। यह केवल उस खंड को बताकर एक लंबे कथन को बचा लेगा, जो इस प्रकार हैः

' जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या चूक से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया हो या अनुमति दी हो।

सच्चा होना और इस तरह के विश्वास पर कार्य करना, न तो वह और न ही उसका

प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उस बात की सच्चाई से इनकार करने की अनुमति दी जाएगी। " 21. ध्यान सिंह बनाम। जुगल किशोर [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 145: 1952

एस. सी. आर. 478] इस न्यायालय ने कहाः (एयर पीपी। 146-47 , पैरा 11)

" 11. अब यह स्वीकार किया जा सकता है कि इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, प्रभाकर प्रभु नावेलकर (डी) v.

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

पहला, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से किए गए केवल भविष्य के वादे से अलग एक मौजूदा तथ्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए; दूसरा, कि दूसरा पक्ष, इस पर विश्वास करते हुए, उसके विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया होगा; और तीसरा, कि उसने अपने विश्वास के अनुसार ऐसा किया होगा।

हानि पहुँचाता है "।

22. ग्यार्सी बाई बनाम। धनसुख लाल [AIR 1965 SC 1055: (1965) 2 एस. सी. आर. 154] सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया थाः

(एयर पी। 1061, पैरा 8)
“ बहिष्कार के सिद्धांत को लागू करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना होगाः (1) (2) दूसरे ने उक्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई की होगी, और (3) ऐसी कार्रवाई उस व्यक्ति के हितों के लिए हानिकारक रही होगी जिसके लिए

प्रतिनिधित्व किया गया है। ”

परित्याग के संबंध में न्यायालय ने मूलचंद के मामले (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से इसे मंजूरी दे दी।

यह धारण करना संभव है कि केवल लाठियाँ या खुद से खड़ा रहना शीर्षक को बुझाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। बहुमत का विचार यह है कि मूलचंद (ऊपर) यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि या तो परित्याग या बहिष्कार होना चाहिए। न्यायमूर्ति विवियन बोस का विचार है कि पद केवल तभी खोया जा सकता है जब बहिष्कार स्थापित किया जाए। केवल यह कहना कि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया है, संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार जैसे निहित अधिकार को समाप्त नहीं करता है। निश्चित रूप से, एक परित्याग जो एक अवरोध के बराबर होता है, उसके परिणामस्वरूप किसी पक्ष या उसके प्रतिनिधि को कानूनी निवारण की मांग करने या अदालत में दावा करने से रोका जा सकता है। 80. इस मामले के तथ्यों में एक अतिरिक्त विशेषता है। दिनांकित 21.1.1919 दस्तावेज़ के तहत गोन्स को प्रतिपूर्ति करनी थी

Rs.1000/- क्योंकि यह उनके भाई सुरियाजी द्वारा अपनी पत्नी के दहेज की आय में से आधी राशि लक्ष्मी को दी गई थी, जो दूसरी शाखा का प्रतिनिधित्व करती थी। गोन्स की ओर से कुछ किया जाना बाकी था और उसके बाद यह सुरियाजी को स्थानांतरित करना था। उस अर्थ में इसे निष्पादन अनुबंध के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहां तक कि इस आधार पर भी आगे बढ़ते हुए कि यह समझा जाता है कि गोन्स का अधिकारों पर एक तिहाई अधिकार है, जो दिनांकित 17.11.1915 के बिक्री विलेख के तहत सुरियाजी के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है, सवाल यह उठता है कि उस इन्वेंट्री कार्यवाही का क्या प्रभाव है जिसका गोन्स पर प्रभाव पड़ा था।

निश्चित रूप से वे जानते थे और स्वीकार करते थे कि वे एक वोगल थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

81. इन्वेंट्री कार्यवाहियों के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि इन्वेंट्री कार्यवाहियां स्वयं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। संबंधित याचिका

इन्वेंट्री कार्यवाही निस्संदेह प्रतियोगी द्वारा ली जाती है। उत्तरदाताओं। यह सच हो सकता है कि इन्वेंट्री कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों पर था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन्होंने अंतिम शिलालेख प्रस्तुत किया है जो

इन्वेंट्री कार्यवाही की पराकाष्ठा और यह दर्शाता है कि वादी अनुसूची संपत्ति शांतिबाई को आवंटित की गई थी।

83. इसके बाद अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भले ही यह सूची कार्यवाही के तहत एक चौथाई हिस्से का आवंटन किया गया था। संपत्ति 'एम' और संपत्ति 'बी' में आधा अधिकार, दिनांकित विघटन विलेख के तहत यथास्थिति जारी रहेगी। दूसरे शब्दों में, 1919 के निपटान विलेख के तहत भी सुरियाजियालांग ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गोन्स को आधे हिस्से का हस्तांतरण किया था। सूरियाजी और गोन्स से संबंधित पूरे अधिकार के शिलालेख के तहत सूची कार्यवाही के बाद

शांतिबाई को आवंटित किया गया था, शांतिबाई एक के रूप में उत्तरदायी बनी रहेगी

ट्रस्टी।

इसे आगे नाबालिग की ओर से वोगल के रूप में तर्क दिया जाता है।

हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। गोन्स स्वयं थे। मुख्य रूप से, जब तक इन्वेंट्री की कार्यवाही शुरू हुई और समाप्त हुई।

प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v. शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

वह 1915 के बिक्री विलेख के तहत अपने अधिकारों से अवगत थे जैसा कि 1919 के विघटन विलेख में घोषित किया गया था। हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि इन्वेंट्री की कार्यवाही शांतिबाई को आवंटित किए गए 'एम' में 4 अधिकार और 'बी' में 1/2 के साथ समाप्त हुई। किस प्रकार उक्त संपत्ति ऐसी हो गई 1919 के निपटान विलेख के बावजूद आबंटित किया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं के अनुसार अपीलार्थियों को गोन्स और संपत्तियों 'बी' के पक्ष में अधिकार दिए गए हैं, यह एक ऐसा मामला है जिसे यह न्यायालय शुरू करने में असमर्थ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शांतिबाई को बिक्री विलेख के अनुरूप संपत्ति आवंटित की गई थी।

85. महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि गोंस ने किसी भी तरह से प्रदर्शन के दौरान या अंत में प्रदर्शन किया।

कार्यवाही। शांतिबाई को उस आवंटन को दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है गोन्स द्वारा कभी भी किसी भी तरह से चुनौती दी गई थी। दूसरे शब्दों में, गोन्स को उनके आचरण से यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने स्वीकार किया है कि जो संपत्ति इन्वेंट्री कार्यवाही में आवंटित की गई थी, वह शांतिबाई की होगी। 1937 से जब उक्त आवंटन सभी उद्देश्यों के लिए किया गया था,

शांतिबाई को आवंटित संपत्ति के रूप में संपत्ति को गोन्स द्वारा स्वीकार किया गया था। हम इस मामले को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह धोखाधड़ी होगी। अपीलार्थियों द्वारा स्थापित धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है। उत्तरदाताओं के लिए एक निश्चित मामला है कि पुर्तगाली कानून में विश्वास की कोई अवधारणा नहीं है और कानूनी और न्यायसंगत संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। हमारा विचार है कि विश्वास की अवधारणा अप्रयोज्य हो सकती है।

86. यह सब क्यों हुआ, इसका एक प्रशंसनीय कारण हो सकता है। 1919 के बाद जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि सुरियाजी ने अपने पूरे 1⁄4 के एक विलेख को अंजाम दिया।

जिसे उन्होंने अपने दादा से गोन्स के पक्ष में उपहार के रूप में प्राप्त किया था, जो लगभग 22.5 हेक्टेयर में था। ऐसा कोई मामला नहीं है कि उक्त उपहार गोन्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। वास्तव में, उक्त उपहार द्वारा कवर की गई संपत्ति और दादा द्वारा गोन्स को उपहार में दी गई संपत्ति भी संपत्ति 'एम' में एक चौथाई अधिकार के साथ वर्ष 1937 में बेची जाने लगी।

87. यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि गोन्स ने न केवल इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान या उसके तुरंत बाद कोई आपत्ति नहीं उठाई, बल्कि

वह वर्ष 1978 तक जीवित रहे, जो 1937 के लगभग 41 साल बाद है, गोन्स ने जीवित रहते हुए कभी भी वादी अनुसूची संपत्ति के संबंध में कोई दावा नहीं किया था। समान रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया और

प्रथम अपीलीय न्यायालय में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गोन्स में था

संपत्ति से आय की प्राप्ति जो अपीलार्थियों का विशिष्ट मामला है। वास्तव में पी. डब्ल्यू. 1 इस प्रकार कहता हैः

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यह सुरियाजी द्वारा गोन्स के नाम पर पंजीकरण हस्तांतरित करने का एक सशर्त समझौता है। वह आगे कहते हैं, "मुझे यह भी नहीं पता कि संपत्ति के पंजीकरण को प्रभावी बनाने के लिए गोन्स द्वारा सूर्याजी को कितनी राशि का भुगतान किया जाना था।" वह आगे स्पष्ट रूप से कहता है कि पिछली बार जब वह संपत्ति में गया था तो वह 1940/1941 में था (उस समय वह स्पष्ट रूप से लगभग 9 साल का था) और वह कहता है कि उसे उपज की तोड़-फोड़ याद है। उनके पास अपने पिता गोन्स की मृत्यु के बाद आय प्राप्त करने का कोई मामला नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि 1979 से भुगतान बंद कर दिया गया था। जहाँ तक 1979 से पहले प्राप्त भुगतान की बात है, हम पहले ही पा चुके हैं कि दोनों अदालतों ने उनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया है और हमें कोई कारण नजर नहीं आता है

या तो एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए।

88. इस प्रकार, गोन्स को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही थी। शांतिबाई के नाम पर संपत्ति दिखाई गई। और भी आगे 1969 में शांतिबाई ने उचित रूप से निर्धारित वाद का एक उपहार विलेख निष्पादित किया। इसके तुरंत बाद शांतिबाई और बच्चों के बीच विभाजन विलेख किए जाते हैं। इस प्रकार, शांतिबाई ने संपत्ति को अपना माना और उन्होंने तदनुसार उपहार विलेख और बाद में उक्त आधार पर किए गए विभाजन विलेख को निष्पादित किया। फिर भी बाद में वाद अनुसूची संपत्ति के हिस्से के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आयोजित की गई। निर्धारित मुआवजे का भुगतान इस आधार पर किया गया था कि गोन्स के पास नहीं था

कोई भी अधिकार। जब ऐसी स्थिति होती है, तो हम सोचेंगे कि इसके बावजूद इस विशिष्ट तथ्यों में परित्याग अनुचित नहीं हो सकता है। मामला। यदि कानूनी आवश्यकता यह है कि इसे आगे रोकने के बराबर होना चाहिए, तो पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक प्रतिनिधित्व पर कार्य करना है, प्रतिनिधि को अपने नुकसान के लिए कार्य करना चाहिए। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि

गोन्स के आचरण द्वारा प्रतिनिधित्व था कि उन्होंने शांतिबाई के अधिकार को स्वीकार किया। यह स्थापित करना मुश्किल हो सकता है कि शांतिबाई ने उनके नुकसान के लिए काम किया। इसके अलावा कोई बचाव का अनुरोध नहीं किया गया है कि या त्याग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाद की आपत्ति एक हल्की बाधा हो सकती है यदि समग्र रूप से अभिवचन इस तरह के मामले का संकेत दे सकता है।

विशेष द्वारा आम तौर पर लागू किए गए किसी आवेदन में विवरण

छोड़ दें। 89. हालाँकि हम मान लेंगे और इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि गोन्स आधे हिस्से के हकदार थे, Rs.1000/- का भुगतान एक शर्त नहीं थी

स्वामित्व के आधार पर एक मुकदमे में पूर्ववर्ती जो प्रतिकूल अधिकार साबित नहीं हुआ है (विशेष रूप से प्रभाकर गोन्स प्रभु नावेलकर (डी) v पर आधारित असंगत याचिका को ध्यान में रखते हुए।

शीर्षक) और चूंकि गोन्स के पास शीर्षक था और मूल प्रार्थना को विभाजन के लिए एक के रूप में माना जाना चाहिए [भले ही घोषणात्मक राहत को प्रतिबंधित किया जा सकता है] और इसलिए मुकदमा समय द्वारा वर्जित नहीं है और कोई रोक नहीं है। फिर भी हम विशेष अनुमति द्वारा उत्पन्न अपील में हमारी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। गोन्स के उत्तराधिकारी के रूप में अपीलार्थियों के पक्ष में हस्तक्षेप करना पूरी तरह से असमान होगा। हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई पहली अपीलीय अदालत की डिक्री के परिणामस्वरूप एक निर्णय हुआ है जो अन्यथा न्यायसंगत है। ताहेराखातून (डी) में एल. आर. वी. सलाम्बिन मोहम्मद 3 1, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अपील में विशेष अनुमति दिए जाने के बाद भी यह न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 15. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि हालांकि विशेष अनुमति दी गई है, विवेकपूर्ण शक्ति जो न्यायालय में निहित है

विशेष अनुमति याचिका उस स्तर पर भी न्यायालय के पास बनी रहती है जब अपील सुनवाई के लिए आती है और जब दोनों पक्षों को अपील में गुण-दोष के आधार पर सुना जाता है। यह सिद्धांत लागू होता है।

अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार की गई सभी प्रकार की अपीलों के लिए, चाहे विषय की प्रकृति कुछ भी हो। यह इस न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ द्वारा प्रीतम सिंह बनाम में निर्धारित किया गया था। राज्य [ए. आई. आर 1950 एस. सी. 169: 1950 एससीआर 453]। उस मामले में, अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि एक बार विशेष अनुमति दिए जाने और मामले को अपील के रूप में दर्ज किए जाने के बाद, मामले को सभी बिंदुओं पर गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए और यह कि -

विशेष अवकाश प्रदान करने के चरण में उपलब्ध विवेकाधीन शक्ति तब उपलब्ध नहीं थी जब योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई की जा रही थी।

16. इस न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया और इब्राहिम बनाम में प्रिवी काउंसिल के निम्नलिखित आदेश को संदर्भित किया। आर. [एआईआर 1914]

पीसी 155]:

" [बोर्ड ने बार-बार अपील करने की अनुमति और आपराधिक अपीलों की सुनवाई के लिए आवेदनों को एक ही आधार पर माना थाः रील मामला [रील बनाम। आर., (1885) 10 एसी 675 58 एलजेपीसी 28]; डीमिंग, एक्स पी [1892 एसी 422: 8 टीएलआर 577]। बोर्ड अपील करने की अनुमति नहीं दे सकता है जहां सुझाए गए आधार अपील को बनाए नहीं रख सकते हैं और इसके विपरीत, यह उन आधारों पर अपील की अनुमति नहीं दे सकता है जो इसके लिए पर्याप्त नहीं होते।

इसे लाने की अनुमति देना। ”

इस न्यायालय ने कहा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित नियम ठोस सिद्धांत पर आधारित है और अपील की अंतिम सुनवाई में केवल उन्हीं बिंदुओं का आग्रह किया जा सकता है जिन पर प्रारंभिक चरण में आग्रह किया जाना उचित था जब अपील करने की अनुमति मांगी गई थी और दो अलग-अलग चरणों में अलग-अलग मानकों को अपनाना अतार्किक होगा।

एक ही मामले में। इस न्यायालय ने कहा (पैरा 8) कि जहां तक अनुच्छेद 136 का संबंध है, सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह बहुत सामान्य था और केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित नहीं था।

और यह कि (पैरा 9 देखें), व्यापक विवेकाधीन शक्ति जिसके साथ न्यायालय संबंधित था, सभी प्रकार के मामलों पर लागू थी। इस न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति,

" इसका प्रयोग संयम से और केवल अपवादात्मक मामलों में किया जाना है,

विभिन्न मामलों में विशेष अवकाश देने के लिए अपनाया जाए जो इस लेख के तहत इसके सामने आ सकता है। के आधार पर

इस अनुच्छेद में, हम दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति दे सकते हैं।

आयकर मामलों में, उन मामलों में जो पहले सामने आते हैं

विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण और विभिन्न प्रकार के अन्य मामलों में "।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दियाः

" एकमात्र समान मानक जिसे हमारी राय में रखा जा सकता है परिस्थितियों में यह है कि न्यायालय को विशेष अनुदान देना चाहिए

उन मामलों में अपील करने की अनुमति दें जहाँ विशेष परिस्थितियाँ हों

अस्तित्व में दिखाया गया है "।

इस न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकालाः

" आम तौर पर, यह न्यायालय विशेष अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ

मौजूद है, कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है

और यह कि विचाराधीन मामला पर्याप्त की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है जिस निर्णय के खिलाफ अपील की गई है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है "।

20.उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, भले ही हम अब काम कर रहे हैं विशेष अनुमति देने के बाद अपील के साथ, हम गुण-दोष में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं और भले ही हम ऐसा करते हैं और कानून की घोषणा करते हैं या त्रुटि की ओर इशारा करते हैं-फिर भी हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यदि मामले का न्याय प्रभाकर प्रभु नावेलकर (डी) v.

शारदा सूर्या प्रभु नावेलकर (डी) [के. एम. जोसेफ, जे.]

तथ्यों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है या यदि हम महसूस करते हैं कि राहत इसे एक अलग तरीके से ढाला जा सकता है।

(जोर दिया गया)

इस मामले में, जैसा कि हमने देखा है कि 22.5 हेक्टेयर के अलावा

संपत्ति 'एम' जो 1925 में गोन्स के पक्ष में दादा द्वारा निष्पादित उपहार विलेख द्वारा प्राप्त की गई थी। गोन्स ने सूर्याजी की पत्नी द्वारा संपत्ति 'एम' में 22.5 हेक्टेयर भूमि का एक और उपहार प्राप्त किया। जैसा कि हमने देखा है कि संपत्ति 'एम' में 91 हेक्टेयर और संपत्ति 'बी' के रूप में लगभग 31 हेक्टेयर थी। इस प्रकार 1913 और 1925 के उपहार विलेखों के परिणामस्वरूप गोन्स को लगभग 45 हेक्टेयर भूमि मिली। अपीलार्थी का मामला 1919 के निपटान विलेख पर आधारित है, जिसे निस्संदेह 1915 के बिक्री विलेख के साथ पढ़ा जाता है। यदि 1925 के उपहार विलेख के बजाय और सुरियाजी को 1919 के विलेख की सख्ती से पुष्टि करनी पड़ती क्योंकि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि सुरियाजी को केवल 19 हेक्टेयर हस्तांतरित करना पड़ता तो यह संपत्ति 'एम' से 11 हेक्टेयर और संपत्ति 'बी' से 7 हेक्टेयर से थोड़ा अधिक होता, लेकिन कुल मिलाकर केवल 19 हेक्टेयर होता। दूसरे शब्दों में कहें तो गोन्स को 19 हेक्टेयर मिला होगा, लेकिन यह सच है कि सुरियाजी ने 1925 में गोन्स को संपत्ति 'एम' में एक चौथाई हिस्सा उपहार में दिया था, जो लगभग 22.5 हेक्टेयर था। इस प्रकार उन्हें लगभग 3 हेक्टेयर से अधिक भूमि दी गई जो उन्हें 1919 के निपटान विलेख को लागू करने पर मिलती। यदि इस मामले में मुकदमा चलाया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि गोन्स को 64 हेक्टेयर से थोड़ा अधिक आवंटित किया जाएगा, जबकि सुरियाजी की शाखा को केवल 19 हेक्टेयर के साथ संतुष्ट रहना होगा। यह तथ्य और यह तथ्य भी कि गोन्स ने अपने पूरे जीवनकाल में और यह याद रखा जाना चाहिए कि गोन्स की मृत्यु केवल 1978 में हुई थी, अपने भाई के परिवार को दिए जा रहे विशेष अधिकार के खिलाफ अपनी छोटी उंगली नहीं उठाई, हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने से किसी भी तरह से रोकता है। नतीजतन, दीवानी अपील खारिज हो जाती है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।